

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 367] No. 367] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 2017/भाद्र 28, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2017/BHADRA 28, 1939

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

सं. आरसीबी/एसटीए/2017/01.—प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र अधिनियम, 2016 (2016 की 36वीं) की धारा 41 के साथ-साथ धारा 15 के खंड (एच) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र के विभिन्न अधिकारियों की शक्तियों और कार्यों इसके शैक्षणिक क्रियाकलापों और इसके कार्मिकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के साथ-साथ प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र संविधियों को अधिसूचित करती है।

"प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (कार्यक्रम सलाहकार समिति) परिनियम

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

- सं. आरसीबी/एसटीए/2017/01.—प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, फरीदाबाद, हिरयाणा में राष्ट्रीय महता की संस्था है, और जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहा है, के लिए उत्तरदायी शासक बोर्ड, प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36) की धारा 41 के साथ पठित धारा 15 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ, उक्त प्रादेशिक केन्द्र के विभिन्न प्राधिकारियों की शक्तियों और कृत्यों, उसके शैक्षिक कार्यकलापों और उसके कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र परिनियम, 2017 है ।

5777 GI/2017 (1)

- (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- **2. परिभाषाएं**—(1) जब तक इन परिनियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) "अधिनियम" से प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36) अभिप्रेत है ;
- (ख) "नियंत्रण प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 23 के अधीन नियुक्त कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत है ;
- (ग) "मान्यताप्राप्त केन्द्र" से धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रादेशिक केन्द्र द्वारा मान्यताप्राप्त उच्चतर शिक्षण का कोई केन्द्र या संस्थान अभिप्रेत है ;
- (घ) "अनुसूची" से इन परिनियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है ; और
- (ङ) "परिनियम" से इन परिनियमों का कोई परिनियम अभिप्रेत है ।
- (2) इसमें प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित है, का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।
- 3. प्रादेशिक केन्द्र का निगमित निकाय.— प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिक केन्द्र के लिए निगमित निकाय वह होगा, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए ।
- **4. प्राधिकारियों की शक्तियां और कृत्य.**—प्रादेशिक केन्द्र के विभिन्न प्राधिकारियों की शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- 5. शैक्षिक कार्यकलाप.—प्रादेशिक केन्द्र की तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक कार्यकलापों का संचालन किया जाएगा।
- 6. सेवा शर्तें.—प्रादेशिक केन्द्र के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें चौथी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।

पहली अनुसूची (परिनियम 3 देखें)

प्रादेशिक केन्द्र का निगमित निकाय

(प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र परिनियम)

अनुच्छेद सं.	अनुच्छेद शीर्ष	अनुच्छेद का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	निगमित निकाय	प्रादेशिक केन्द्र अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन "प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र" के नाम से ज्ञात एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा और यह शासक बोर्ड तथा निम्नलिखित प्राधिकारियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :— (i) शासक बोर्ड ; (ii) कार्यक्रम सलाहकार समिति ; (iii) कार्यपालक समिति ; (iv) वित्त समिति ; (v) अध्ययन बोर्ड ; और (vi) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो इन परिनियमों के अधीन प्रादेशिक केन्द्र के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

2.	मुख्यालय	प्रादेशिक केन्द्र का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान
		समूह, फरीदाबाद, में इसके परिसर में होगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा
		अधिसूचना सं. का.आ. 642(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017 में भी विनिर्दिष्ट
		किया गया है ।
3.	अधिकारिता	जैसा कि अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रादेशिक केन्द्र की
		अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत और ऐसे अन्य केंद्रों और विशेषीकृत
		प्रयोगशालाओं या अनुसंधान, विकास और अनुदेश की अन्य इकाईयों पर
		होगा, जिनकी स्थापना प्रादेशिक केन्द्र द्वारा भारत में या भारत से बाहर की
		गई है।

दूसरी अनुसूची (परिनियम 4 देखें) प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र के प्राधिकारी और उनकी शक्तियां तथा कृत्य

अनुच्छेद सं.	अनुच्छेद शीर्ष	अनुच्छेद का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	शासक बोर्ड के निबंधन	एक शासक बोर्ड होगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 14 में विनिर्दिष्ट किया गया है और उसके उक्त धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट दो सदस्य होंगे, जो उक्त खंड (घ) में निर्दिष्ट यूनेस्को के ऐसे राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से अवधारित किया जाए और बोर्ड के सदस्यों की पदावधि तथा बोर्ड की बैठकों की रीति नीचे यथाविनिर्दिष्ट होगी, अर्थात् :—
		(क) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदाविध, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष है, उस तारीख से क्रमश: पांच वर्ष होगी, जिसको वह अपना पद धारण करते हैं; (ख) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट
		सदस्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;
		(ग) पदेन सदस्यों, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष है, की पदावधि उनके संबंधित पद के निबंधनों के साथ सह विस्तारित होगी ;
		(घ) बोर्ड का पदावरोही सदस्य तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट न कर दिया जाए या सदस्य के रूप में नियुक्त न कर दिया जाए ;
		(ङ) बोर्ड का पदावरोही सदस्य पुन: नामनिर्देशन या पुन:नियुक्ति का पात्र होगा यदि बोर्ड के अध्यक्ष का यह विश्वास हो जाता है कि ऐसे सदस्य का प्रादेशिक केन्द्र के उद्देश्यों में योगदान अत्यंत मूल्यवान, प्रशंसनीय और प्रतिभाशाली है;
		(च) पदेन सदस्य से भिन्न बोर्ड का सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को लिखकर अपना पद त्याग सकेगा किंतु वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसके त्यागपत्र को बोर्ड द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए ;
		(छ) बोर्ड वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा, जैसा उसके अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाए ; और (ज) तीन सदस्य बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति होंगे ।

2.	शासक बोर्ड की शक्तियां	बोर्ड के पास अधिनियम की धारा 15 में यथाविनिर्दिष्ट शक्तियां और कृत्य
	और कृत्य	होंगे तथा ऐसी शक्तियों के अतिरिक्त प्रादेशिक केन्द्र के प्रशासन के लिए शक्तियों के अतिरिक्त बोर्ड,—
		(क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए अध्यादेशों के प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट शैक्षिक अपेक्षाओं को पूरा कर लेने पर विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदत्त करेगा ;
		(ख) ऐसे व्यष्टिकों को, जिन्होंने ज्ञान या सृजनता के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है, को मानद डिग्रियां या अन्य शैक्षिक सम्मान प्रदान करेगा;
		(ग) प्रादेशिक केन्द्र के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए भारत या विदेश में उच्चतर शिक्षण की संस्थाओं को मान्यता प्रदान करेगा और अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले मानकों और प्रक्रिया के अनुसार ऐसी मान्यता का प्रतिसंहरण करेगा;
		(घ) भारत या विदेशों में प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षिक और अनुसंधान उद्देश्यों को हासिल करने के लिए केन्द्र और विशेषीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना करेगा और उनका अनुरक्षण करेगा;
		(ङ) प्रादेशिक केन्द्र के विद्यार्थियों और संकाय के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए अध्येता वृत्तियों, छात्र वृत्तियों, विद्यार्थी वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को प्रारंभ करेगा और उन्हें प्रदान करेगा;
		(च) ऐसे विजिटिंग प्रोफेसरों, विख्यात प्रोफेसरों, मानद प्रोफेसरों, अनुबद्ध प्रोफेसरों, अवकाश प्राप्त प्रोफेसरों, अवकाश प्राप्त वैज्ञानिकों, और ऐसे अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा, जो प्रादेशिक केन्द्र के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान कर सकें;
		(छ) कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं की लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुमोदन करेगा ;
		(ज) प्रादेशिक केन्द्र की निधियों का प्रबंध करने के लिए अनुसूचित या राष्ट्रियकृत बैंकों में खातों का प्रचालन करेगा ;
		(झ) समय-समय पर प्रादेशिक केन्द्र की आवश्यकताओं के अनुसार और चौथी अनुसूची में यथा उपबंधित प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारियों की सेवा का विनियमन करने के लिए विभिन्न अनुमोदित पदों के कृत्यशील पदनामों का उपबंध करेगा, अनुमोदन करेगा या उनमें परिवर्तन करेगा; और
		(ञ) ऐसी रीति में कार्य करेगा, जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में प्रादेशिक केन्द्र के ध्ययों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक हो।
3.	बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियां	बोर्ड का अध्यक्ष—
	और कृत्य	(क) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ;
		(ख) प्रादेशिक केन्द्र के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ;
		(ग) प्रादेशिक केन्द्र द्वारा प्रदान की डिग्री और डिप्लोमाओं पर हस्ताक्षर करेगा ;

		(घ) तत्कालिक्ता की दशा में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी शक्तियों के उपयोग में की गई कार्रवाई पर बोर्ड की अगली बैठक में अनुमोदन के लिए बोर्ड को सूचित करेगा ; और (ङ) बोर्ड की ऐसी अन्य शक्ति का, जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपी जाएं इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपयोग करेगा।
4		2000
4.	कार्यक्रम सलाहकार समिति की पदावधि	अधिनियम की धारा 17 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्यक्रम सलाहकार सिमिति प्रादेशिक केन्द्र का प्रधान शैक्षिक (जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक और अनुसंधान सिम्मिलित है) सलाहकार निकाय होगा और यह उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो धारा 17 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट है और सदस्यों की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करते हैं, पांच वर्ष होगी:
		परंत्—
		(क) उसका अध्यक्ष जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति होगा और वह प्रादेशिक केन्द्र के कोर क्षेत्रों से सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होगा ;
		(ख) बोर्ड अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन कार्यक्रम सलाहकार समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों को नियुक्त
		करेगा;
		(ग) जब कार्यक्रम सलाहकार समिति का कोई सदस्य किसी पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता है, के कारण सदस्य बन जाता है तो ऐसी सदस्यता उसके द्वारा ऐसा पद या नियुक्ति के धारण करने को समाप्त करने पर समाप्त हो जाएगी;
		(घ) कार्यक्रम सलाहकार समिति के अन्य सभी सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करते हैं, पांच वर्ष के अवसान के पश्चात् अपनी सदस्यता को त्याग देगें किंतु वह पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे ;
		(ङ) यदि कार्यक्रम सलाहकार समिति के किसी सदस्य की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कोई रिक्ति उदभूत होती है तो उक्त रिक्ति के लिए नामनिर्दिष्ट या चयन किया गया व्यक्ति केवल उस पांच वर्ष की समाप्त न हुई अवधि के लिए पद धारण करेगा;
		(च) कार्यक्रम सलाहकार समिति का कोई सदस्य निम्नलिखित में से किसी घटना के होने पर सदस्य नहीं रहेगा, अर्थात् :—
		(i) यदि कार्यक्रम सलाहकार समिति की तीन लगातार बैठकों में पूर्व सूचना और समुचित कारण या औचित्य के बिना भाग नहीं लेता है ;
		(ii) यदि वह पद त्याग देता है, मृत्यु हो जाती है, विकृतचित हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या ऐसे किसी अपराध का सिद्धदोष है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है ;
		(छ) कार्यक्रम सलाहकार समिति की सदस्यता से त्यागपत्र कार्यक्रम सलाहकार समिति के अध्यक्ष को दिया जाएगा और वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए;

(ज) कार्यक्रम सलाहकार सिमिति वर्ष में एक बैठक सलाहकार सिमिति के पांच सदस्य गणपूर्ति होंगें (झ) सदस्यों को बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा या मानदेय संदत्त किया जाएगा और उन्हें सिमिति की बैठकों में भाग लेने के लिए य लॉजिस्टिक व्ययों का प्रतिदाय किया जाएगा।	ो ; विनिश्चित बैठक फीस
(झ) सदस्यों को बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा व या मानदेय संदत्त किया जाएगा और उन्हें समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए य लॉजिस्टिक व्ययों का प्रतिदाय किया जाएगा।	विनिश्चित बैठक फीस
या मानदेय संदत्त किया जाएगा और उन्हें समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए य लॉजिस्टिक व्ययों का प्रतिदाय किया जाएगा ।	
लॉजिस्टिक व्ययों का प्रतिदाय किया जाएगा ।	कार्यक्रम सलाहकार
	।ात्रा व्यय और अन्य
5. कार्यक्रम सलाहकार समिति अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) में विनिर्ध की शक्तियां और कृत्य अतिरिक्त कार्यक्रम सलाहकार समिति के निम्नलिखित कृ	
्र (क) उद्देश्यों को पूरा करने में प्रादेशिक केन्द्र द्वार मूल्यांकन और बोर्ड को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत क	रा की गई प्रगति का
(ख) प्रादेशिक केन्द्र में शैक्षिक, वैज्ञानिक और तक	
वर्गीकरण और उत्सादन के संबंध में तथा परिलब्धियों के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें क	उनके कर्तव्यों और
(ग) भारत में और बाहर अन्य शैक्षिक संस्थाओं के लिए बोर्ड को सलाह देना ; और	साथ संपर्क बढाने के
(घ) बोर्ड या कार्यपालक निदेशक द्वारा उसे ि तकनीकी मुद्दों से संबंधित विषयों पर विचा देनाः	
6. अध्यादेशों और विनियमों अधिनियम की धारा 42 के अधीन कार्यक्रम सलाहकार की शर्ते गए अध्यादेशों और अधिनियम की धारा 43 के अर्ध प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए विनियमों में अंतर्विष्ट विभी कोई शिथिलीकरण या अधित्यजन—	ोन प्रादेशिक केन्द्र के
(i) कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा ऐसे अधिनिय	यमों की दशा में ; या
(ii) बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना प्रादेशिक केन्द्र ऐसे विनियमों की दशा में,	के प्राधिकारियों द्वारा
नहीं दिया जाएगा ।	
7. कार्यपालक समिति अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट	प्रयोजनों के लिए एक
कार्यपालक समिति होगी और,—	, ,
(क) कार्यपालक समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे	, अर्थात् :—
(i) कार्यपालक निदेशक, पदेन अध्यक्ष ;	
(ii) प्रादेशिक केन्द्र के संकायाध्यक्ष ;	
(iii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सर या संयुक्त सचिव (प्रशासन) ;	कार का अपर सचिव
(iv) प्रादेशिक केन्द्र के साथ व्यौहार करने के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नोडल	
(v) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास	·
प्रभाग का भारसाधक) भारत नामनिर्देशिती (निदेशक के रैंक से अन	सरकार या उसका
(vi) संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय (यृ	• •
भारसाधक) भारत सरकार या र (निदेशक के रैंक से अन्यून) ;	``

		(vii)निदेशक, यूनेस्को, नई दिल्ली प्रादेशिक कार्यालय ; और
		(viii) प्रशासन नियंत्रक, प्रादेशिक केन्द्र, सदस्य-सचिव ।
		(ख) प्रादेशिक केन्द्र का कुलसचिव और वित्त अधिकारी कार्यपालक समिति में स्थायी आमंत्रिती होंगे ;
		(ग) कार्यपालक समिति साधारणतया वर्ष में दो बैठकें करेगी ;
		(घ) कार्यपालक समिति की बैठक में पांच सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति
		होगी ।
8.	कार्यपालक समिति की शक्तियां और कृत्य	(1) कार्यपालक सिमिति प्रादेशिक केन्द्र के प्रबंधन और बोर्ड की नीतियों तथा विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी;
		(2) कार्यपालक समिति की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—
		(क) प्रादेशिक केन्द्र के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कृत्यों के संबंध में आंतरिक प्रक्रियाओं पर कार्यपालक निदेशक का मार्गदर्शन और उसे सलाह देना;
		(ख) कार्यपालक निदेशक को प्रादेशिक केन्द्र की जनशक्ति आवश्यकताओं और भर्ती तथा सेवा नियमों के संबंध में मार्गदर्शन और उसे सलाह देना ;
		(ग) प्रादेशिक केन्द्र में पदों के सृजन, वर्गीकरण और उत्सादन के संबंध में तथा उनके कर्तव्यों और परिलब्धियों के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना;
		(घ) प्रादेशिक केन्द्र में एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उसकी संपदा में संनिर्माण या परिवर्तन या अनुरक्षण संकर्म को करने के लिए भवन और संकर्म समिति का गठन करना;
		(ङ) कार्यपालक निदेशक को प्रादेशिक केन्द्र की सभी जंगम और स्थावर आस्तियों के उपापन, अनुरक्षण और उपयोग की प्रक्रियाओं पर कार्यपालक निदेशक को सलाह देना ;
		(च) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर वसूल न की जा सकने वाली धनीय हानियों और अप्रचलित तथा मरम्मत न की जा सकने वाली भंडार मदों को बट्टे खाते में डालना ;
		(छ) प्रादेशिक केन्द्र के वित्तीय, वाणिज्यिक और विधिक अनुपालनों की मानीटरी करना ; और
		(ज) ऐसे अन्य मामलों से व्यौहार करना, जो कार्यपालक समिति को बोर्ड के अध्यक्ष या प्रादेशिक केन्द्र के कार्यपालक निदेशक द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।
9.	अध्ययन बोर्ड	(1) अध्ययन बोर्ड प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षिक मामलों के लिए पर्यवेक्षक निकाय होगा।
		(2) अध्ययन बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :
		(i) कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष (पदेन) ;
		(ii) प्रादेशिक केन्द्र के संकायाध्यक्ष और उप संकायाध्यक्ष (पदेन) ;

(iii) चक्रानुक्रम में प्रादेशिक केन्द्र के तीन संकाय सदस्य ; (iv) मान्यताप्राप्त अनुसंधान और शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय या जैव प्रौद्योगिकी उद्योग से के तीन विषय विशेषज्ञ : (v) प्रादेशिक केन्द्र के मान्यताप्राप्त केंद्रों से तीन शैक्षिक समन्वयक ; और (vi) कुलसचिव, प्रादेशिक केन्द्र (सदस्य-सचिव) । (3) कार्यपालक निदेशक प्रादेशिक केन्द्र के विभिन्न क्षेत्रों से संकाय सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा: (4) कार्यपालक निदेशक विभिन्न क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों को नामनिर्दिष्ट करेगा : (5) मान्यताप्राप्त केन्द्र का प्रत्येक भारसाधक अपने केन्द्र के लिए एक शैक्षिक समन्वयक की सिफारिश करेगा तथा कार्यपालक निदेशक अध्ययन बोर्ड के सदस्य बनने के लिए चक्रानुक्रम में तीन ऐसे शैक्षिक समन्वयकों को नामनिर्दिष्ट करेगा: (6) पैरा (3), पैरा (4) और पैरा (5) में निर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी : (7) अध्ययन बोर्ड साधारणतया वर्ष में ऐसे अवसर जैसा कार्यपालक निदेशक द्वारा निदेश दिया जाए, दो बैठक करेगा ; (8) विशेष बैठक से भिन्न अध्ययन बोर्ड की बैठक के लिए सूचना साधारणतया बैठक के लिए नियत दिन से कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी। (9) अध्ययन बोर्ड की बैठकों के लिए अध्ययन बोर्ड के सदस्यों का 30 प्रतिशत, जिसमें कम से कम एक बाह्य विशेषज्ञ होगा, गणपूर्ति होगा और यदि गणपूर्ति न हो तो बैठक को दस मिनट के लिए स्थगित कर दिया जाएगा तथा उपस्थित सदस्य बैठक को अग्रसर करने के लिए पुन: इकट्टे होंगे ; (10) अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक स्वयं की पहल या अध्ययन बोर्ड के कम से कम तीस प्रतिशत सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बुलाई जा सकेगी और यदि अध्यपेक्षित बैठक में गणपूर्ति न हो तो वह रद्द हो जाएगी ; (11) सदस्यों के अन्रोध पर बुलाई गई विशेष बैठक की दशा में कार्यवृत्त में अधिसूचित मद से भिन्न किसी मद पर चर्चा नहीं की जाएगी और ऐसे सदस्यों की उपस्थिति, जिनके अनुरोध पर विशेष बैठक बुलाई गई थी, अनिवार्य होगी: (12) यदि कार्यपालक निदेशक की राय में किसी मद पर विचार करने के लिए अध्ययन बोर्ड की बैठक आयोजित करना आवश्यक या समीचीन नहीं है और वह यह मानता है कि मामले का निपटान अध्ययन बोर्ड के सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा किया जा सकता है तो वह इस निमित्त आवश्यक अनुदेश जारी कर सकेगा । अध्ययन बोर्ड की शक्तियां अध्ययन बोर्ड प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षिक कार्यक्रम की निगरानी करेगा और 10. उसकी निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात् :---और कृत्य

		(क) जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से सुसंगत अध्ययन के कार्यक्रमों का डिजाइन और विकास, जैसा कि अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन प्रादेशिक
		केन्द्र के ध्येय और उद्देश्यों में भी सूचीबद्ध है ; (ख) विभिन्न डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों के लिए और ऐसी डिग्रियों और प्रमाण-पत्रों को अभिप्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली अपेक्षाओं तथा अध्ययन विषयों का अनुमोदन करना ;
		(ग) प्रादेशिक केन्द्र के प्राधिकारियों को शैक्षिक अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट रीति में,
		(i) अनुदेशों के पाठ्यक्रमों, व्याखयानों की सिफारिश करना, शोध प्रबंध कार्य को प्रस्तुत करना और उसका मूल्यांकन करना तथा अनुसंधान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना ; और
		(ii) शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की क्वालिटी और मानकों में सुधार के उपाय करना ;
		(घ) यह सुनिश्चित करना कि प्रादेशिक केन्द्र के संबंधित संकाय द्वारा प्रस्ताव किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या और अध्ययन सामग्री का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण और अध्यतन सतत रूप से किया जा रहा है;
		(ङ) बोर्ड को प्रादेशिक केन्द्र के मान्यताप्राप्त केंद्रों की मान्यता के लिए सिफारिश करना ;
		(च) प्रादेशिक केन्द्र के मान्यताप्राप्त केंद्रों के शिक्षण संकाय या वैज्ञानिकों को शैक्षिक प्रयोजन के लिए प्रादेशिक केन्द्र के संकाय के रूप में मान्यता प्रदान करना ;
		(छ) प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षिक कृत्यों के संबंध में ऐसे विनियमों का अनुमोदन करना और बनाना, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी अनुशासन, आवास, अध्येतावृत्तियों, विद्यार्थी वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों, पुरस्कारों को प्रदान करना, फीस और छूट तथा उपस्थिति है, जो इन परिनियमों और अध्यादेशों से सुसंगत हैं;
		(ज) प्रादेशिक केन्द्र की शैक्षिक अनुपालना की मानीटरी करना ; और
		(झ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो प्रादेशिक केन्द्र के प्राधिकारियों द्वारा समनुदेशित किए जाएं।
11.	वित्त समिति की संरचना	अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट वित्त समिति की संरचना, उसके बाह्य विशेषज्ञों सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति निम्नलिखित होगी, अर्थात् : (क) वित्त समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,
		(i) कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष (पदेन) ;
		(ii) वित्त सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती (पदेन) ;
		(iii) नोडल अधिकारी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, जो प्रादेशिक केन्द्र से व्यौहार कर रहा है, सदस्य (पदेन) ;

		(iv) कार्यपालक निदेशक, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, सदस्य (पदेन) ;
		(v) वित्त और लेखांकन में दो बाह्य विशेषज्ञ, सदस्य ;
		(vi) प्रशासन नियंत्रक, प्रादेशिक केन्द्र सदस्य (पदेन) ; और
		(vii) वित्त अधिकारी, सदस्य-सचिव (पदेन) ;
		(ख) खंड (क) के उपखंड (v) में निर्दिष्ट बाह्य विशेषज्ञों को कार्यपालक
		निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और वह तीन वर्ष की
		अवधि के लिए पद धारण करेंगे ;
		(ग) वित्त समिति प्रादेशिक केन्द्र के लेखाओं और वित्तीय प्रबंधन का
		पुनर्विलोकन करने के लिए साधारणतया वर्ष में दो बैठकें करेगी ; और
		(घ) वित्त समिति के वैयक्तिक रूप से उपस्थित चार सदस्य गणपूर्ति
		होंगे।
12.	वित्त समिति की शक्तियां	अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट वित्त समिति उस धारा की उपधारा (1) में
	और कृत्य	विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त प्रादेशिक केन्द्र के वित्तीय प्रबंधन की निगरानी
		के लिए उत्तरदायी होगी और उसकी और शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो
		समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित
		हैं, अर्थात् :
		(क) प्रादेशिक केन्द्र के वित्त पर प्रभाव डालने वाले सभी क्षेत्रों में प्रचालन
		प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण मार्गदर्शक सिद्धांतों का
		पुनर्विलोकन ;
		(ख) प्रादेशिक केन्द्र के वार्षिक बजट आकलनों और पुनरीक्षित आकलनों पर विचार करना तथा बोर्ड की कार्यपालक समिति को उसके संबंध
		में सिफारिशें करना ;
		(ग) समय-समय पर प्रादेशिक केन्द्र के वित्त का पुनर्विलोकन तथा बोर्ड की कार्यपालक समिति को उसके संबंध में सिफारिशें करना ;
		(घ) प्रादेशिक केन्द्र के नए शीर्षों के लिए सभी प्रस्तावों पर विचार
		करना, जिसके अंतर्गत भवन और संकर्म हैं तथा बोर्ड की कार्यपालक समिति को उसके संबंध में सिफारिशें करना ;
		(ङ) वित्त के नए स्रोतों की सिफारिश करना तथा विद्यमान निधियों के विनिधान की निगरानी करना, जिससे प्रादेशिक केन्द्र के आंतरिक संसाधनों में वृद्धि की जा सके ;
		(च) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर वसूल न की जा सकने वाली
		धनीय हानियों और अप्रचलित तथा मरम्मत न की जा सकने वाली
		भंडार मदों को बट्टे खाते में डालने की कार्यपालक समिति को सलाह देना ;
		्र (छ) पुनर्विनियोग कथनों पर विचार करना और बोर्ड की कार्यपालक
		समिति को उसके संबंध में सिफारिशें करना ;
		(ज) लेखाओं, आस्ति रजिस्टर तथा उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के वार्षिक
		विवरणों का पुनर्विलोकन और बोर्ड की कार्यपालक समिति को
		उसके संबंध में सिफारिशें करना ;
		(झ) कार्यपालक समिति और बोर्ड को सलाह देना तथा प्रादेशिक केन्द्र के
		कृत्यों और कार्यकलापों को प्रभावित करने वाले अन्य विषयों पर या

		तो स्वयं की पहल या कार्यपालक निदेशक या कार्यपालक समिति या बोर्ड की पहल पर सिफारिशें करना ;
		(ञ) बोर्ड को आवश्यक वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की सिफारिश करना ; और
		(ट) प्रादेशिक केन्द्र के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश करना ।
13.	प्रादेशिक केन्द्र के मुख्य कृत्यकारी	कार्यपालक निदेशक प्रादेशिक केन्द्र को वैज्ञानिक और शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने, प्रादेशिक केन्द्र के प्रशासन और वित्त की निगरानी करने, उसके कारबार का निदेश देने तथा प्रादेशिक केन्द्र से संबंधित किसी अन्य विषय का प्रशासन करने के लिए बोर्ड की ओर से कृत्य करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।
14.	कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति	कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार की मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन से निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् :
		(क) बोर्ड अग्रणी दैनिक समाचार-पत्रों, प्रत्यायित विज्ञान पत्रों और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, प्रादेशिक केन्द्र और ऐसे अन्य स्थानों, जिन्हें वह समुचित समझे, में खुले विज्ञापन के माध्यम से आवेदन या नामनिर्देशन आमंत्रित करेगा ;
		(ख) इस पद के लिए सन्नियमों, मानदंड और विनियमों को बोर्ड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की सहमति से अंतिम रूप दिया जाएगा ;
		(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित खोजबीन-सह-चयन समिति प्रादेशिक केन्द्र के कार्यपालक निदेशक के रूप में कृत्य करने के लिए नियुक्ति के लिए जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में प्रदर्शित विज्ञान प्रबंधन अनुभव और उच्च नेतृत्व क्वालिटी रखने वाले व्यक्ति की पहचान और सिफारिश करेगी;
		(घ) इस प्रकार नियुक्त कार्यपालक निदेशक प्रादेशिक केन्द्र में प्रोफेसर का सारवान पद भी धारण करेगा और वह कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी पदावधि की समाप्ति पर संकाय के लिए अनुज्ञेय अधिवर्षिता की आयु तक इस पद पर बना रहेगा;
		(ङ) कार्यपालक निदेशक उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा और वह पदावधि के पूरा होने पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :
		परंतु उक्त पांच वर्ष की अवधि के अवसान के होते हुए भी वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसके उत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है और वह अपना पद धारण नहीं कर लेता है ;
		(च) खंड (ङ) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी कार्यपालक निदेशक द्वारा अपना पद धारण करने के पश्चात् बोर्ड लिखित आदेश द्वारा अक्षमता, अवचार या कानूनी उपबंधों के उल्लंघन के आधार पर उसे पद से हटा सकेगा :
		परंतु

- (i) बोर्ड द्वारा ऐसा कोई आदेश सिवाय कार्यपालक निदेशक को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा;
- (ii) बोर्ड के पास ऐसा कोई आदेश करने से पूर्व केंद्रीय सरकार की सहमति होगी ;
- (iii) बोर्ड ऐसा कोई आदेश करने से पूर्व किसी भी समय कार्यपालक निदेशक को जांच या अन्यथा के लंबन के दौरान निलंबनाधीन रख सकेगा।
- (छ) कार्यपालक निदेशक को केन्द्र में सम्मिलित होने के लिए केंद्रीय सरकार के समतुल्य रैंक के अधिकारी को स्थानांतरण यात्रा भत्ते से संबंधित नियमों के अधीन सीमा तक अनुज्ञेय व्यय का यह मानते हुए कि नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति लोक हित में अंतरण है, संदाय किया जाएगा:
- (ज) अनुच्छेद 13 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यपालक निदेशक प्रादेशिक केन्द्र का पूर्णकालिक वेतन प्राप्त करने वाला अधिकारी होगा और कार्यपालक निदेशक का वेतन समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित 'राष्ट्रीय महत्ता की संस्था' के निदेशक के समतुल्य होगा और कार्यपालक निदेशक को प्रादेशिक केन्द्र के अन्य संकाय सदस्य को लागू भत्तों का समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियत दरों पर संदाय किया जाएगा । वह शासकीय कार, भाटक मृक्त सुसज्जित आवास का उसकी संपूर्ण पदावधि के दौरान हकदार होगा और कार के उपयोग और आवास के अनुरक्षण के संबंध में कार्यपालक निदेशक द्वारा किसी प्रभार का संदाय नहीं किया जाएगा । वह केंद्रीय विश्वविद्यालय के उप कुलपित को उपलब्ध अन्य भत्तों का भी हकदार होगा;
- (झ) कार्यपालक निदेशक ऐसे सीमांत फायदों और भत्तों का भी हकदार होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं :

परंतु जब प्रादेशिक केन्द्र या किसी अन्य संस्था या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे किसी भविष्य निधि, जिसका वह सदस्य है, में अभिदाय जारी रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और प्रादेशिक केन्द्र उस दर पर ऐसे व्यक्ति की भविष्य निधि में अभिदाय करेगा, जिस पर वह उसके कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति से ठीक पूर्व अभिदाय कर रहा था:

परंतु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य था तो प्रादेशिक केन्द्र ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा;

- (ञ) कार्यपालक निदेशक विभिन्न प्रकार की छुट्टी का हकदार होगा, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत उसकी समतुल्य प्रास्थिति के अधिकारियों को लागू है;
- (ट) यदि कार्यपालक निदेशक का पद मृत्यु, त्याग पत्र या अन्यथा रिक्त हो जाता है या वह खराब स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है तो प्रादेशिक केन्द्र का ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष कार्यपालक निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा:

		परंतु यदि संकायाध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो प्रादेशिक केन्द्र का ज्येष्ठतम प्रोफेसर तब तक कार्यपालक निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि, यथास्थिति, नया कार्यपालक निदेशक अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या विद्यमान कार्यपालक निदेशक अपने पद के कर्तव्यों को पुन: ग्रहण नहीं कर लेता है।
15.	कार्यपालक निदेशक की शक्तियां और कृत्य	अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यपालक निदेशक की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :
		(क) कार्यपालक निदेशक प्रादेशिक केन्द्र का उसके बोर्ड के निमित्त कारबार को संचालित करने और कार्य करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा ;
		(ख) कार्यपालक निदेशक प्रादेशिक केन्द्र का उसके अनुसंधान और शैक्षिक कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए प्रधान वैज्ञानिक और शैक्षिक प्राधिकारी होगा ;
		(ग) कार्यपालक निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखें कि अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रादेशिक केन्द्र के परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन सम्यकत: किया जा रहा है या नहीं और उसके पास ऐसी अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए सभी आवश्यक शक्तियां होंगी;
		(घ) कार्यपालक निदेशक अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित कार्यपालक समिति, अध्ययन बोर्ड और अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन गठित वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ;
		(ङ) कार्यपालक निदेशक बोर्ड का संयोजक होगा और बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह डिग्रियां अनुदत्त करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ;
		(च) कार्यपालक निदेशक प्रादेशिक केन्द्र के किसी प्राधिकरण की किसी बैठक या अन्य निकायों में उपस्थित होने या उन्हें संबोधित करने का हकदार होगा, किंतु वह वहां पर तब तक मत देने का अधिकारी नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो ;
		(छ) कार्यपालक निदेशक को प्रादेशिक केन्द्र के वित्त का व्यय मंजूर करने की आबंटित व्यय के अनुसार और प्रादेशिक केन्द्र की आवश्यकताओं के अनुसार समग्र बजट में स्वीकृत शीर्षों में निधियों का उपयोजन करने की शक्ति होगी ;
		(ज) इस अधिनियम और इन परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्यपालक निदेशक को विभिन्न शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, वृत्तिक और प्रशासनिक पदों पर चौथी अनुसूची में उपबंधित सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए नियुक्तियां करने की और अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कृत्य करने की शक्तियां होंगी ;
		(झ) कार्यपालक निदेशक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन गठित कार्यपालक समिति, कार्यक्रम सलाहकार समिति, अध्ययन बोर्ड और वित्त समिति की बैठकें बुलाने या बुलाया जाना कारित करने की शक्तियां होंगी ;

	1	
		 (ञ) कार्यपालक निदेशक प्रादेशिक केन्द्र के समुचित कृत्यकरण के लिए अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट से भिन्न अधिकारियों को उसके द्वारा अधिरोपित की जा सकने वाली सीमाओं या शर्तों के अनुसार अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करेगा; (ट) कार्यपालक निदेशक किन्हीं अन्य शक्तियों का, जो बोर्ड द्वारा प्रादेशिक केन्द्र के समुचित कृत्यकरण के लिए संकल्प द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई हैं का, प्रयोग करेगा।
16.	संकायाध्यक्ष और उप संकायाध्यक्ष	(1) अधिनियम की धारा 22 के क्रमशः खंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष और उप संकायाध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार की जाएगी।
		(2) पैरा 1 के अधीन नियुक्त उप संकायाध्यक्ष का कृत्यशील पद सहयुक्त संकायाध्यक्ष होगा ।
		(3) ऐसे संकायाध्यक्ष या सहयुक्त संकायाध्यक्ष की पदावधि पांच वर्ष होगी :
		परंतु—
		(i) संकायाध्यक्ष या सहयुक्त संकायाध्यक्ष, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति का हकदार होगा ;
		(ii) इस प्रकार नियुक्त संकायाध्यक्ष या सहयुक्त संकायाध्यक्ष प्रादेशिक केन्द्र में प्रोफेसर का सारवान पद भी धारण करेगा और वह उस पद पर संकायाध्यक्ष या सहयुक्त संकायाध्यक्ष के रूप में उसकी पदावधि की समाप्ति पर संकाय को अनुज्ञेय अधिवर्षिता की आयु तक रहेगा;
		(iii) संकायाध्यक्ष या सहयुक्त संकायाध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
17.	संकायाध्यक्ष या सहयुक्त संकायाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य	अनुच्छेद 16 में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष या सहयुक्त संकायाध्यक्ष कार्यपालक निदेशक की ऐसे मामलों में सहायता करेंगे, जो इस निमित्त कार्यपालक निदेशक द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो कार्यपालक निदेशक द्वारा उन्हें समनुदेशित किए जाएं।
18.	सहयुक्त निदेशक (प्रशासन)	 (1) सहयुक्त निदेशक (प्रशासन) की नियुक्ति कार्यपालक निदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन सिमिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह प्रादेशिक केन्द्र का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा; (2) इस पद का कृत्यशील नाम प्रशासन नियंत्रक होगा; (3) प्रशासन नियंत्रक की सेवा के निबंधन और शर्ते वे होंगी, जो चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है:
		परंतु प्रशासन नियंत्रक प्रादेशिक केन्द्र के गैर-शैक्षिक कर्मचारिवृंद को यथा अनुज्ञेय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ; (4) जब प्रशासन नियंत्रक का पद रिक्त होता है और जब वह रुग्णता, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो उसका अनुपालन ऐसे व्यक्ति

		द्वारा किया जाएगा, जिसे इस प्रयोजन के लिए कार्यपालक निदेशक नियुक्त करे ।
19.	प्रशासन नियंत्रक के कर्तव्य	प्रादेशिक केन्द्र में प्रशासन नियंत्रक का यह कर्तव्य होगा कि वह— (क) प्रादेशिक केन्द्र के संबंध में सभी प्रशासनिक मामलों में कार्यपालक निदेशक की सहायता करे ;
		(ख) कार्यपालक समिति के पदेन सचिव के रूप में कार्य करे और कार्यपालक समिति की बैठकों को आयोजित करने के लिए सूचनाएं जारी करे और प्रादेशिक केन्द्र की सभी कानूनी समितियों के शासकीय पत्राचार और कार्यवृत्त को रखे ;
		(ग) समग्र प्रशासनिक कार्यकलापों की निगरानी करे, जिसके अंतर्गत प्रादेशिक केन्द्र की स्थापना, वित्त, भंडार और क्रय, इंजीनियरी, संपदा और अनुरक्षण है ;
		(घ) कार्यपालक निदेशक को सतत सुधार के लिए प्रादेशिक केन्द्र की मानीटरी और प्रशासन के मूल्यांकन से संबंधित विषयों की रिपोर्ट करे ;
		(ङ) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के भीतर जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान कलेस्टर भागीदारों और वित्तपोषण करने वाले निकायों के बीच प्रचालनों और सेवाओं के अनुरक्षण के लिए आरंभिक संबंध का अनुरक्षण करे;
		(च) वह प्रादेशिक केन्द्र के अभिलेखों, सामान्य मुहर और ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा, जो कार्यपालक समिति उसके प्रभार में सौपेगी ;
		(छ) प्रादेशिक केन्द्र का प्रादेशिक केन्द्र द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करे और अभिवचनों का सत्यापन करे या इस प्रयोजन के लिए प्रतिनिधि को तैनात करे; और
		(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगा, जो अधिनियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या समय-समय पर कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रादेशिक केन्द्र के प्रयोजनों के लिए उसे सौंपे जाएं ।
20.	कुलसचिव	(1) अधिनियम की धारा 22 के खंड (v) में निर्दिष्ट कुलसचिव की नियुक्ति कार्यपालक निदेशक द्वारा उस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी और वह प्रादेशिक केन्द्र का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ;
		(2) कुलसचिव की सेवा के निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं :
		परंतु कुलसचिव प्रादेशिक केन्द्र के गैर शैक्षिक कर्मचारिवृंद को यथा अनुज्ञेय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ;
		(3) जब कुलसचिव का पद रिक्त हो या कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है तो उनका निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो इस प्रयोजन के लिए कार्यपालक निदेशक समनुदेशित
		करे ।

21.	कुलसचिव के कर्तव्य	(1) अनुच्छेद 20 के पैरा (1) के अधीन नियुक्त कुलसचिव अध्ययन बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा ।
		(2) कुलसचिव प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षिक अभिलेखों और ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा, जो कार्यपालक निदेशक उसके प्रभार में सौंपे ।
		(3) कुलसचिव अध्ययन बोर्ड और शैक्षिक विषयों के लिए प्रादेशिक केन्द्र की सभी समितियों, जैसा कि कार्यपालक निदेशक द्वारा नियुक्त की जाएं, की बैठक बुलाने के लिए सभी सूचनाएं जारी करेगा।
		(4) कुलसचिव अध्ययन बोर्ड और कार्यपालक निदेशक द्वारा शैक्षिक विषयों के लिए नियुक्त किन्हीं समितियों की बैठकों के सभी अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा।
		(5) कुलसचिव प्रादेशिक केन्द्र का प्रादेशिक केन्द्र द्वारा या उसके विरुद्ध शैक्षिक कृत्यों से संबंधित सभी वादों या कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करेगा।
		(6) कुलसचिव विद्यार्थी कार्यकलापों की, जिसके अंतर्गत प्रादेशिक केन्द्र में दाखिला, परीक्षाएं, अध्येता वृत्तियां, फीस, स्नातक, यात्रा, आवास और शिकायत प्रतितोष सम्मिलित है, किंतु उस तक ही सीमित नहीं है, निगरानी करेगा।
		(7) कुलसचिव प्रादेशिक केन्द्र में पश्च-डॉक्टरल अध्येता और युवा अन्वेषणकर्ताओं के शैक्षिक कार्यकलापों के प्रशासन की निगरानी करेगा।
		(8) कुलसचिव ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अध्यादेशों द्वारा या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या समय-समय पर कार्यपालक निदेशक द्वारा अपेक्षित किए जाएं।
22.	वित्त अधिकारी	(1) अधिनियम की धारा 22 के खंड (vi) में निर्दिष्ट वित्त अधिकारी की नियुक्ति कार्यपालक निदेशक द्वारा उस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी और वह प्रादेशिक केन्द्र का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ;
		(2) वित्त अधिकारी की सेवा के निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं :
		परंतु वित्त अधिकारी प्रादेशिक केन्द्र के गैर शैक्षिक कर्मचारिवृंद को यथा अनुज्ञेय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ;
		(3) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो या वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है तो उनका निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो इस प्रयोजन के लिए कार्यपालक निदेशक समनुदेशित करे।
23.	वित्त अधिकारी के कर्तव्य	(1) अनुच्छेद 22 के पैरा (1) के अधीन नियुक्त वित्त अधिकारी वित्त समिति का सदस्य-सचिव होगा ।
		(2) वित्त अधिकारी प्रादेशिक केन्द्र की निधियों के ऊपर साधारण अधीक्षण का उपयोग करेगा और प्रादेशिक केन्द्र के वित्तीय औचित्यों पर सलाह देगा।

(3) वित्त अधिकारी प्रादेशिक केन्द्र की वित्तीय संपत्ति और विनिधानों, जिसके अंतर्गत न्यास और पोत संपत्ति है, का प्रतिधारण और प्रबंधन करेगा।
(4) वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए कार्यपालक समिति द्वारा नियत सीमाओं का उल्लंघन न किया जाए और समस्त धन, उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए उन्हें अनुदत्त या आबंटित किया गया है, पर विस्तारित किया जाए।
(5) वित्त अधिकारी प्रादेशिक केन्द्र के वार्षिक लेखाओं और बजट को तैयार करने के लिए अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट वित्त समिति को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(6) वित्त अधिकारी नकद और बैंक शेष पर तथा राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगा और संग्रहण या राजस्व की प्रगति पर निगरानी रखेगा तथा प्रादेशिक केन्द्र में नियोजित संग्रहण की विधियों पर सलाह देगा।
(7) वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टरों को अद्यतन रखा जाए और प्रादेशिक केन्द्र के सभी कार्यालयों, विभागों, केंद्रों और विशेषीकृत प्रयोगशालाओं की आस्तियों का वार्षिक स्टॉक सत्यापन संचालित किया जाए।
(8) वित्त अधिकारी ऐसे अन्य वित्तीय और प्रशासनिक कृत्यों का निष्पादन करेगा, जो कार्यपालक निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं।

तीसरी अनुसूची (परिनियम 5 देखें)

प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षिक कार्यकलाप

(शैक्षिक कार्यकलापों का संचालन)

अनुच्छेद सं.	अनुच्छेद शीर्ष	अनुच्छेद का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रम	 (1) प्रादेशिक केन्द्र का मुख्य कृत्य विश्व स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा बहु-विषयों के इंटरफेस पर नूतन अनुसंधान का संचालन करना, जिससे जैव प्रौद्योगिकी के विषयी और अंत:विषयी क्षेत्रों में उच्च क्वालिटी के मानव संसाधनों का सृजन किया जा सके । (2) अनुसंधान आधारित शिक्षण प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षिक कार्यक्रमों का हॉलमार्क होगा, जहां विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों के लिए अभ्यावेशित विद्यार्थी, जो प्रादेशिक केन्द्र और उसके मान्यताप्राप्त केंद्रों की अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अपने प्रशिक्षण संघटकों में कार्य करेंगे तथा उनके पास प्रादेशिक केन्द्र का भ्रमण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ इंट्रेक्ट करने का अवसर होगा । (3) प्रादेशिक केन्द्र का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम, कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा मार्गदर्शित होगा और यह संस्थानों के बीच सहयोग द्वारा अंतर-विषयिता हासिल करना उसका लक्ष्य होगा ।

- (4) प्रादेशिक केन्द्र सामाजिक फायदे के लिए और इनका विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रशिक्षण का एक भाग बनने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए वृहत्त अनुसंधान कार्यक्रम का निर्माण करने के लिए प्रयास करेगा।
- (5) प्रादेशिक केन्द्र जैव प्रौद्योगिकी के बहु-विषयी क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा का प्रस्ताव करेगा किंतु वह जैव प्रौद्योगिकी के वृहत्त क्षेत्रों के निम्नलिखित कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं होगा, अर्थात:--
 - (i) डॉक्टर ऑफ फिलोस्फी (पीएचडी);
 - (ii) विज्ञान निष्णात और डॉक्टर ऑफ फिलोस्फी (एकीकृत) (एमएससी-पीएचडी);
 - (iii) विज्ञान निष्णात (एमएससी) ;
 - (iv) प्रौद्योगिकी निष्णात (एमटेक) ; और
 - (v) जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी)।
- (6) प्रादेशिक केन्द्र या किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र में नए शैक्षिक कार्यक्रम को लाने के प्रत्येक प्रस्ताव की जांच अध्ययन बोर्ड द्वारा की जाएगी और वांछनीयता, साध्यता और अधिनियम में वर्णित वृहत्त उद्देश्यों के साथ अनुपालन की दृष्टि से यदि स्वीकार्य पाया जाता है तो उसका अनुमोदन किया जाएगा।
- (7) प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रम के पाठ्यक्रम या उसमें किसी परिवर्तन के लिए शिक्षा बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित होगा।
- (8) प्रादेशिक केन्द्र और उसके द्वारा मान्यताप्राप्त केन्द्र संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) के साथ बातचीत और संपर्क के लिए शैक्षणिक समन्वयक नियुक्त करेगा और प्रादेशिक केन्द्र का कुलसचिव, केवल एक व्यष्टि जो प्रोफेसर द्वारा प्रादेशिक केन्द्र के रुप में मान्यता प्राप्त है, को शैक्षणिक समन्वयक के रुप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।
- (9) यदि प्रादेशिक केन्द्र द्वारा मान्यताप्राप्त केन्द्र किसी प्रोफेसर स्तर के संकाय को उसके शैक्षणिक समन्वयक के रुप में नियुक्त करने में असमर्थ रहता है, एक सह-प्रोफेसर, ऐसी असमर्थता के कारणों को उल्लिखित करते हुए अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से शैक्षणिक समन्वयक नियुक्त किया जा सकेगा।
- (10) प्रादेशिक केन्द्र द्वारा मान्यताप्राप्त केन्द्र द्वारा नामांकित छात्र किसी अन्य ऐसे मान्यताप्राप्त केन्द्र या किसी अन्य संस्थान अथवा विश्वविद्यालय जिसके साथ प्रादेशिक केन्द्र ने शैक्षणिक सहयोग का करार किया है में पाठ्यक्रम या उसके किसी भाग में उपस्िथत हो सकेगा या अनुसंधान अथवा उसके किसी भाग को कर सकेगा और छात्र किसी अन्य केन्द्र या संस्थान अथवा विश्वविद्यालय जिसके साथ प्रादेशिक केन्द्र ने सहयोग का करार किया है से सह-गाइड ले सकेगा।
- (11) मूल से भिन्न केन्द्र में छात्र द्वारा अर्जित पाठयक्रम क्रैडिट केवल तभी दिए जाएंगे यदि छात्र प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षणिक समन्वय के पूर्व अनुमोदन से सैमिस्टर प्रारंभ होने से पहले पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए

		,
		रजिस्ट्रीकृत किया गया है और उसकी सूचना प्रादेशिक केन्द्र के कुलसचिव को दी गई है ।
		(12) प्रादेशिक केन्द्र द्वारा मान्यताप्राप्त केन्द्र में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन मान्यताप्राप्त केन्द्र द्वारा निश्चित चयन प्रक्रिया के अनुसार और अध्ययन बोर्ड के अनुमोदन द्वारा किया जाएगा।
2	दीक्षांत समारोह	1. अर्हित छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए दीक्षांत समारोह ऐसी तारीख या तारीखों पर जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जा सकेगी प्रादेशिक केन्द्र के फरीदाबाद परिसर में साधारणतया वर्ष में एक बार आयोजित किया जाएगा।
		2. डिग्नियां प्रदान करने या मानद प्रयोजनों के लिए विशेष दीक्षांत समारोह ऐसी तारीखों और ऐसे समय पर जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियत की जा सकेगी, आयोजित किया जा सकेगा।
		3. बोर्ड इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह दीक्षांत समारोह आयोजित किए बिना डिग्रियां प्रदान करने का विनिश्चय कर सके।
		4. बोर्ड का अध्यक्ष सभी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और डिग्नियां या डिप्लोमा प्रदान करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक करेगा।
		5. ऐसे छात्र जिन्होंने उस वर्ष की परीक्षा, जिसमें दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है, पास की है, वह दीक्षांत समारोह में प्रवेश लेने के पात्र होंगे :
		परंतु किसी विशिष्ट वर्ष में, किसी कारण से, दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किए जाने की दशा में, कार्यपालक निदेशक, उसकी अनुपस्थिति में उस वर्ष सफल छात्रों को संबंधित डिग्री या डिप्लोमा जैसा भी मामला हो, में प्रवेश को प्राधिकृत करने और डिग्री या डिप्लोमा जारी करने के लिए सक्षम होगा।
		6. ऐसे छात्र जो दीक्षांत समारोह में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो उनके निवेदन पर उनकी अनुपस्थिति में डिग्री या डिप्लोमा स्वीकार किए जा सकेंगे और उनके डिग्री या डिप्लोमा प्रादेशिक केन्द्र के कुलसचिव द्वारा जारी किए जा सकेंगे।
		7. बोर्ड का अध्यक्ष और कार्यपालक निदेशक डिग्री और डिप्लोमा प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करेगा ।
		8. कार्यपालक निदेशक जब कभी आवश्यक समझे वार्षिक दीक्षांत समारोह से पूर्व डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सभी अपेक्षाएं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को अनंतिम डिग्री या डिप्लोमा जारी कर सकेगा।
3.	मान्यताप्राप्त केन्द्र	1. अधिनियम की धारा 10 उपधारा (1) खंड (च) के अनुसरण में अध्ययन बोर्ड, भारत के भीतर उच्चतर अध्ययन संस्था से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करेगा और उनके पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों जो उसकी वांछनीयता, व्यवहार्यता और अनुरुपता की दृष्टि से प्रादेशिक केन्द्र के उद्देश्यों और कृत्यों के कार्यक्षेत्र के अधीन आते हैं, को मान्यता प्रदान करने के लिए बोर्ड को सिफारिश करेगा और यही भारत के बाहर संस्थाओं और अनुसंधान केंद्रों पर अभिभावी होगा।

- 2. बोर्ड द्वारा पैरा 1 में यथानिर्दिष्ट मान्यताप्राप्त और अनुमोदित संस्था जैव तकनीकी के लिए प्रादेशिक केन्द्र के "मान्यताप्राप्त केन्द्र" के रुप में नामित की जाएगी।
- 3. पैरा 2 में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त केन्द्र का संकाय, केन्द्र में अधिष्ठायी पद धारण किए बिना प्रादेशिक केन्द्र द्वारा समुचित शैक्षणिक शीर्षक प्रदान किए जाने का पात्र होगा।
- 4. अध्ययन बोर्ड, पैरा 1 के अधीन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया और अधिनियम के अधीन बनाए गए अध्यादेश के उपबंधों के अनुसरण में शैक्षणिक प्रायोजन के लिए प्रादेशिक केन्द्र द्वारा उसके संकाय, विनिश्चित करेगा।
- 5. बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के अनुसरण में संस्थाएं जो पैरा 2 के अधीन प्रादेशिक केन्द्र द्वारा मान्यताप्राप्त करने की वांछा रखती है वह एक लिखित करार करेगा, जो सहयोग के अधीन समाविष्ट उद्देश्य आवश्यकता और विशिष्ट क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट करेगा और गांरटी प्रदान करेगा कि वह अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियम के उपबंधों और मान्यताप्राप्त शैक्षणिक कार्यक्रम के संबंध में प्रादेशिक केन्द्र के आदेश, निदेश और अनुदेशों का अनुसरण करेगा ।
- 6. इसके अधीन बनाए गए मान्यताप्राप्त केन्द्र, अध्ययन बोर्ड के द्वारा यथाअनुमोदित शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन करेंगे और प्रादेशिक केन्द्र उन अभ्यर्थियों जो अध्यादेश में यथाउपबंधित शैक्षणिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करेगा।
- 7. पैरा 2 के अधीन मानयताप्राप्त केन्द्र, प्रादेशिक केन्द्र को अध्ययन बोर्ड और समय समय पर यथाविनिश्चित वार्षिक मान्यता फीस का संदाय करेगा।
- 8. पैरा 2 के अधीन मान्यता द्वारा संस्थान को प्रदत्त विशेषाधिकार भागत: या पूर्णत: प्रत्याहृत किए जा सकेंगे या उपांतरित किए जा सकेंगे यदि संस्थान अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, उसके अधीन बनाए गए विनियम के उपबंधों या शैक्षणिक कार्यक्रम के संबंध में प्रादेशिक केन्द्र के आदेश, निदेश या अनुदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या मान्यता की किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है अथवा उसका आचरण प्रादेशिक केन्द्र के हितों या उसके मानकों पर प्रतिकृल प्रभाव डालता है।

अनुसंधान और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए सहयोग और परामर्श

- 1. अनुसंधान को बहुविषयी बनाने के लिए प्रादेशिक केन्द्र, वैश्विक संस्थाओं के व्यष्टि वैज्ञानिकों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देगा।
- 2. सभी सहयोग, प्रादेशिक केन्द्र के दृष्टिकोण, मिशन और उद्देश्य का सहयोगकों जो अनुसंधान को अतिरिक्त मूल्य प्रदान कर सकते हैं को विविध विशेषज्ञता की शाक्ति प्रदान करते हुए समर्थन करेगा।
- 3. वृहत कार्यक्रम पर ऐसे सहयोग, रुचि बनाने की क्षमता जिसके अंतर्गत छात्रों और साझा अनुसंधान जिसके अंतर्गत छात्रों और युवा अनुसंधानकर्ता के प्रशिक्षण और शिक्षा भी है, के साथ संस्थागत स्तर पर किए जा सकेंगे तथा ऐसी संस्थाएं भारत या विदेश में अवस्थित हो सकेंगी।
- 4. सहयोग, समझौता पत्र या करार के माध्यम से परिभाषित किए जा सकेंगे और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जा सकेंगे।
- 5. प्रादेशिक केन्द्र भी उसके शैक्षणिक और अनुसंधान उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत या उसके बाहर किसी उद्योग या ऐसे अन्य संगठनों के साथ

4

		सहयोग कर सकेंगे ।
		6. पैरा 5 में निर्दिष्ट सहयोग, समझौता पत्र या करार के माध्यम से परिभाषित किए जा सकेंगे और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।
		7. सभी प्रचलित नैतिक सिद्धांत, सन्नियम और मार्गदर्शक सिद्धांत ऐसे सभी सहयोग क्रियाकलापों में अनुसरित किए जाएंगे ।
		8. उपरोक्त सहयोग के माध्यम से अनुसंधान के लिए अपेक्षित निधि, सहयोग के भागीदारों द्वारा संयुक्त रुप से उपलब्ध कराई जाएगी।
		9. ऐसे भागीदार, अपने बौद्धिक सहयोग के अनुपात में सहयोग अनुसंधान द्वारा धारित किसी पेटेंट या सृजित कोई भौतिक संपदा को संयुक्त रुप से धारण करेंगे।
		10. प्रादेशिक केन्द्र, भारत में या विदेश में किसी अन्य भागीदार संस्था के सहयोग के साथ या उसके बिना विशिष्ट अनुसंधान प्रयोगशाला या केन्द्र की स्थापना कर सकेगा।
		11. बोर्ड, कार्यक्रम सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकेगा।
		12. प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षणिक कर्मचारीवृंद बोर्ड द्वारा अनुमोदित सन्नियमों का अनुसरण करते हुए उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान या शैक्षणिक परामर्श कर सकेंगे।
5	अध्येतावृत्ति, छात्रवृति पुरस्कार	1. प्रादेशिक केन्द्र के डाक्टरल छात्र, साधारणतया वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या जैव तकनीकी विभाग या विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्य स्रोत जिसके लिए वह अर्हित हुए हैं और पात्र घोषित हुए हैं, से अध्येतावृत्ति प्राप्त करेंगे। 2. प्रादेशिक केन्द्र, पैरा 1 में निर्दिष्ट छात्र के मामले को उन्हें अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान करने वाले अभिकरणों को प्रायोजित या अग्रेषित करेगा। 3. प्रादेशिक केन्द्र, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों जो अध्यन बोर्ड द्वारा अधिकथित किए जाएं, जिन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, के अनुसरण में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों को करने के लिए भारत या विदेश के छात्रों को छात्रवृत्ति या अध्येतावृत्ति या सहायता भी प्रदान कर सकेगा। 4. छात्रों के शैक्षणिक उत्कर्ष, रचनात्मक नेतृत्व और संपूर्ण उन्नित और संपूर्ण अभिवृद्धि करने तथा विकास को प्रोन्नत करने तथा मान्यता प्रदान करने के लिए अध्ययन बोर्ड, बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् प्रादेशिक केन्द्र द्वारा या विन्यास अथवा दाताओं के अनुदान के माध्यम से द्वारा स्थापित पुरस्कार और मेडल प्रदान कर सकेगा। 5. छात्र सरकार, पब्लिक सैक्टर संगठनों, निजी और वाणिज्यिक संगठनों
6	चर्मिक रिपोर्ट	तथा प्रादेशिक केन्द्र के संकाय सदस्यों द्वारा निदेशित अनुसंधान स्कीम से भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे ।
6.	वार्षिक रिपोर्ट	1. वार्षिक रिपोर्ट प्रादेशिक केन्द्र की शैक्षणिक , शैक्षिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलापों को निदर्शित करते हुए तैयार की जाएगी। 2. ऐसी वार्षिक रिपोर्ट, कार्यपालक निदेशक के पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन, मामले और उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रादेशिक केन्द्र द्वारा
		उठाए गए कदमों को समाविष्ट करते हुए तैयार की जाएगी ।

		3. वार्षिक रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।
7	प्रादेशिक केन्द्र का पुनर्विलोकन	1. उसके द्वारा नियुक्त कार्यक्रम सलाहकार समिति या उपसमिति अधिनियम के अधीन बनाए गए वैज्ञानिक और शैक्षणिक कार्यक्रम का वार्षिक पुनर्विलोकन संचालित करेंगे। 2. कार्यक्रम सलाहकार समिति बोर्ड को पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 3. उसकी नैत्यिक प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसे और जब अपेक्षित हो, प्रादेशिक केन्द्र की प्रशासनिक और वित्तीय संक्रियाओं का पुनर्विलोकन संचालित कर सकेगा और रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
		4. बोर्ड, किसी अन्य मामले में किसी भी समय प्रादेशिक केन्द्र का पुनर्विलोकन संचालित करने का विनिश्चय कर सकेगा।
8	अपवाद	छात्र जो पहले से ही प्रादेशिक केन्द्र या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त केंद्रों से उनकी डाक्टरेल डिग्री पर कार्य कर रहे हैं प्रादेशिक केन्द्र के डाक्टर ऑफ फिलॉस्फी कार्यक्रम में छात्र के रुप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होंगे : परंतु ऐसे छात्र अधिनियम के अधीन बनाए गए अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसरण में डाक्टर ऑफ फिलॉस्फी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अपेक्षाएं पूरी करेगा। 2. पैरा (1) के अधीन अपवाद, पहले से प्रवेश किए गए छात्रों को सौकर्य प्रदान करने के लिए प्रादेशिक केन्द्र और उसके मान्यताप्राप्त केन्द्र पर एक बार अपवाद के रुप में उपलब्ध होगा। 3. ऐसे सभी मामले, रजिस्ट्रीकरण के लिए अध्ययन बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकित और अनुमोदित किए जाएंगे।

चौथी अनुसूची (परिनियम 6 देखें)

प्रादेशिक केन्द्र के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें

अनुच्छेद सं.	अनुच्छेद का शीर्षक	अनुच्छेद का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारी	 प्रादेशिक केन्द्र में निम्नलिखित कर्मचारी काडर होगा, अर्थात :- (i) शैक्षणिक काडर ; (ii) तकनीकी काडर; और (iii) प्रशासनिक काडर । पैरा 1 में विनिर्दिष्ट काडर के भीतर विभिन्न पद ऐसे होंगे जो प्रादेशिक केन्द्र की आवश्यकता के अनुसरण में समय-समय पर बोर्ड द्वारा सृजित किए जाएं । बोर्ड को प्रादेशिक केन्द्र की आवश्यकता के अनुसार पदों के वर्गीकरण और उन्हें विभिन्न काडर समनुदेशित करने की शक्ति होगी ।
2.	प्रादेशिक केन्द्र में नियुक्तियां	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2. प्रादेशिक केन्द्र में सीधी भर्ती के लिए निश्चित सभी पद साधारणतया एक खुले विज्ञापन द्वारा भरे जाएंगे और परिनियमों में यथा अधिकथित निबंधनें और शर्तें विज्ञापित की जाएंगी और विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर कार्यपालक निदेशकों द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा विचार किया जाएगा:

परंतु छानबीन समिति पर्याप्त कारणों से जैसा वह उचित समझे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार कर सकेगी। परंतु विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए प्रादेशिक केन्द्र की वैबसाइट पर उपलब्ध या प्रत्याशित रिक्तियों के अध्यधीन एक चल विज्ञापन होगा और समय समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर इस प्रायोजन के लिए कार्यपालक निदेशकद्वारा गठित प्रत्येक संबद्ध विभागीय समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा और उसकी सिफारिशें समुचित कार्यवाही करने के लिए कार्यपालक निदेशक को भेजी जाएगी।

- 3. प्रादेशिक केन्द्र के विभिन्न पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—
- (क) कार्यपालक निदेशक के लिए नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड होगा और ऐसे पदों पर नियुक्ति भारत सरकार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के साथ किया जाएगा।
- (ख) संकायाध्यक्ष और सह संकायाध्यक्ष के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड होगा और ऐसी नियुक्ति भारत सरकार के जैव तकनीकी विभाग के भारसाधक मंत्री के अनुमोदन के साथ की जाएगी।
- (ग) ग्रेड वेतन 10,000 रुपये और उससे ऊपर के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कार्यपालक निदेशक होगा और ऐसे पदों पर नियुक्ति बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ किए जाएंगे।
- (घ) (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए सभी पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कार्यपालक निदेशक होगा और ऐसे पदों पर नियुक्ति उसके अनुमोदन के साथ की जाएगी।
- 4. आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण नीति के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए गए नियम और प्रक्रियाएं, प्रादेशिक केन्द्र के नियमित कर्मचारीवृंद के सभी काडरों के लिए अनुसरित की जाएगी।
- 5. प्रतिनियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित वर्तमान नियम और प्रक्रियाएं यथावश्यक परिवर्तन सहित प्रादेशिक केन्द्र में प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई नियुक्तियों के संबंध में लागू होंगे।
- 6 प्रादेशिक केन्द्र के विभिन्न पदों के लिए चयन सिमिति नीचे यथाविनिर्दिष्ट होगी, अर्थात् :-
- (क) समूह 'क' के समतुल्य पदों के लिए जिनका ग्रेड वेतन 5400 रुपए प्रतिमाह से 10500 रुपये प्रतिमाह तक हैं, कार्यपालक निदेशक चयन सिमिति की अध्यक्षता करेगा और सिमिति के अन्य सदस्य वे होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;
- (ख) समूह 'ख' के समतुल्य पदों के लिए जिनका ग्रेड वेतन 5400 रुपए प्रतिमाह से कम है, कार्यपालक निदेशक का नामनिर्देशिती चयन समिति की अध्यक्षता करेगा और समिति के अन्य सदस्य वे होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

		(ग) ऐसी प्रत्येक चयन सिमिति में कम से कम दो सदस्य होंगे जिनका ग्रेड वेतन ऐसे पद, जिसे भरा जाना है से उच्चतर होगा और इनमें से कम से कम एक सदस्य बाह्य विशेषज्ञ होगा;
		(घ) ऐसी प्रत्येक चयन समिति में पद, आरक्षित पद द्वारा भरे जाने की दशा में संबद्ध आरक्षित समुदाय का सदस्य समाविष्ट होगा;
		(ड.) चयन समिति में सतर्कता संगठन का कोई सदस्य भाग नहीं लेगा;
		(च) सह संकायाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष के पदों के लिए भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा खोज–सह-चयन समिति का गठन किया जाएगा; और
		(छ) कार्यपालक निदेशक के पद के लिए भारत सरकार के जैव तकनीकी विभाग द्वारा भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नियमों और अनुदेशों के अनुसरण में संपूर्ण चयन प्रक्रिया की जाएगी।
		7. ऐसी चयन सिमिति सभी व्यक्तियों जिन्होंने आवेदन किया है के प्रत्यय पत्रों की परीक्षा करेगी और अन्य उपयुक्त नामनिर्दिष्ट नामों, यदि कोई हो, पर भी विचार कर सकेगी जो चयन सिमिति के किसी सदस्य द्वारा या अन्यथा सिमिति के ज्ञान में लाए जाएं, और चयन सिमिति यदि वह ऐसा उचित
		समझे, किसी अभ्यर्थी का साक्षात्कार कर सकेगी और अध्यक्ष के विवेक पर एक लिखित परीक्षा या परीक्षाएं, जिसके अंतर्गत मौखिक प्रदर्शन भी है, सभी या किन्हीं अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा सकेगी।
		8 ऐसी चयन सिमिति का कोई कार्य या कार्यवाहियां सिमिति के किसी सदस्य या सदस्यों जिन्हें चयन सिमिति की बैठक के लिए युक्तियुक्त समय के भीतर सूचना दी जा चुकी है की अनुपस्थिति के आधार मात्र पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
3	कर्मचारियों की सेवा शर्तें	1. प्रादेशिक केन्द्र के पदों को यथाउल्लिखित वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्:—
		(i) समूह 'क' के समतुल्य पद जिनका वेतनबैंड 3 और ग्रेड वेतन 5400 रुपये और उससे अधिक है;
		(ii) समूह 'ख' के समतुल्य पद जिनका वेतनबैंड 2 और ग्रेड वेतन 4200 रुपये और उससे अधिक है लेकिन वेतनबैंड 3 और ग्रेड वेतन 5400 रुपये से कम है;
		(iii) अन्य सभी पद समूह 'ग' के समतुल्य पद होंगे ।
		2 प्रादेशिक केन्द्र के सभी पद भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और बोर्ड द्वारा अंगीकृत किए गए नियमों के अनुसार वेतनमानों और भत्तों में नियत किए जाएंगे तथा इन पदों पर नियुक्त किए गए सभी कर्मचारी केंद्रीय सरकार के उसके समतुल्य प्रास्थिति के कर्मचारियों को सुसंगत नियमों और उपबंधों द्वारा अनुज्ञेय भत्ते, अनुलाभ और विशेषाधिकार, सभी प्रकार की छुटटी तथा छुटटी यात्रा रियायत के हकदार होंगे।
		3. प्रादेशिक केन्द्र के अधीन पदों पर सभी नियुक्तियां 2 वर्ष की परिवीक्षा अविध के अधीन होगी और यदि पुष्टि हो जाती है तो वह अधिनियम और इन परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपना पद नियमित रुप से उस माह के अंत तक जिसको वह केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है, धारित करेगा।

- 4. पैरा 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर प्रत्येक नियुक्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि नियुक्त व्यक्ति इस संबंध में कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसे समनुदेशित पद पर सेवा के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक रुप से योग्य होने के लिए प्रमाणित किया जाता है।
- 5. नियुक्ति प्राधिकारी, पैरा 1 में विनिर्दिष्ट किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति को एक माह की पूर्व सूचना देकर और परिवीक्षा अवधि के दौरान उसे कोई कारण समनुदेशित किए बिना सेवा समाप्त कर सकेगा।
- 6. नियुक्ति प्राधिकारी, पैरा 1 में विनिर्दिष्ट पद को धारण करने वाले किसी व्यक्ति को तीन माह की सूचना देकर या इसके बजाए तीन माह का वेतन देकर सेवानिवृत्त करने या उसकी सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति होगी, यदि कार्यपालक समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उसका बने रहना व्यवहार्य नहीं है अथवा ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवांछनीय है।
- 7. शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन पर यात्रा के लिए प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारी केंद्रीय सरकार के समतुल्य प्रास्थिति के कर्मचारियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों द्वारा शासित होंगे । बोर्ड कार्यपालक समिति की सिफारिशों के आधार पर विशिष्ट मामले में कर्मचारी के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष हकदारी अधिकथित कर सकेगा । प्रादेशिक केन्द्र के सभी कर्मचारियों की यात्रा के लिए अनुमोदन कार्यपालक निदेशक द्वारा किया जाएगा । कार्यपालक निदेशक की विदेशी यात्राओं के लिए अनुमोदन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- 8. प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारी उन पर और उनके आश्रितों पर वहन किए गए चिकित्सा व्यय की, बोर्ड द्वारा अनुमोदित चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति और दरों के अनुसरण में चिकित्सा व्यय के प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे ।
- 9. प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारी तत्समय प्रवृत्त केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में यथाविनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के आचरण नियमों द्वारा शासित होंगे । उपरोक्त उल्लिखित नियमों के क्रियान्वनय के प्रायोजन के लिए, कार्यपालक निदेशक प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाहियों जिसके अंतर्गत निलंबित करना भी है आरंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा लेकिन उपरोक्त उल्लिखित नियमों के अधीन शास्तियां अधिरोपित करने वाला कोई आदेश, नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ द्वारा पारित नहीं किया जाएगा और ऐसी जांच किए जाने के पश्चात् तथा ऐसे कर्मचारी को उसके विरुद्ध किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यवाही में कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।
- 10. प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षणिक काडर के कर्मचारी, प्रादेशिक केन्द्र के परिसर के भीतर, यदि उपलब्ध हो तो आवासीय आवास से संबंधित नियमों या इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में मकान आंबटित कराने के लिए पात्र होंगे । ऐसे आबंटन समुचित अनुज्ञप्ति फीस, पानी, बिजली पर वास्तविक आधार पर प्रदान की गई अन्य सेवा के लिए भार के उद्गहण के अध्यधीन रहते हुए होगा । कार्यपालक निदेशक, कतिपय वर्ग के कर्मचारियों की दशा में, प्रादेशिक केन्द्र के हित में यदि ऐसा करना

आवश्यक हो अनुज्ञप्ति फीस का अधित्याग कर सकेगा या रियायत दर पर उद्गहण कर सकेगा । 11. प्रादेशिक केन्द्र का स्थायी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रुप में तीन माह की सूचना देने के पश्चात या इसके बजाए तीन माह के वेतन का संदाय करके सेवा का परित्याग कर सकेगा । प्रादेशिक केन्द्र के अस्थायी कर्मचारियों के मामले में सचना की अवधि एक माह होगी या उसके बजाए एक माह का वेतन संदाय करना होगा ।ऐसा पद का त्याग उस तारीख से जिसको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे पद त्याग को स्वीकार किया जाता है से प्रभावी होगा । ऐसा नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्वयं विवेक से सूचना की अवधि और इसके बजाए वेतन के प्रत्युद्धरण का पूर्णत: या भागत: अधित्याग स्वीकार कर सकेगा। 12. नियुक्ति प्राधिकारी, तीन माह से अनधिक लिखित में सुचना देकर किसी भी समय प्रादेशिक केन्द्र के स्थायी कर्मचारी को केंद्रीय सरकार द्वारा उसके समतुल्य प्रास्थिति के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर अधिकथित निबंधनों और शर्तों तथा नियमों और विनियमों पर सेवानिवृत्त कर सकेगा। 13. प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारी, भारत सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होंगे और सेवानिवृत्ति अभिलाभ ऐसी स्कीम जो केंद्रीय सरकार के समतुल्य प्रास्थिति के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर लागू हो के अधीन होंगे। प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षणिक काडर में सभी पद उच्चतर काडर में पदों वृत्ति प्रगति और प्रोन्नति 4. की रिक्तियों की स्थिति के आधार पर बोर्ड द्वारा अवधारित की जाने वाली पात्रता शर्तों को पुरा करने और गुणावगुण के सफलतापुर्वक निर्धारण के अध्ययधीन रहते हुए प्रोन्नति के लिए हकदार होंगे। 2. प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षणिक कर्मचारी उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा के पश्चातु अगली उच्चतर श्रेणी के पदों पर प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने हेत् पात्र होंगे। 3. प्रादेशिक केन्द्र के शैक्षणिक कर्मचारियों की प्रोन्नति वेतनबैंड 4 में शैक्षणिक ग्रेड वेतन 10500 रुपये तक के पदों तक सीमित होगी। 4. प्रादेशिक केन्द्र के तकनीकी या प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत लागू होंगे, अर्थात् :-अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति विद्यमान श्रेणी में न्यूनतम (i) पात्रता अवधि को पूरा करने और अगली उच्चतर श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों के अध्यधीन रहते हुए होगी ; ऐसे कर्मचारी, केंद्रीय सरकार के लिए तत्समय प्रवृत्त स्कीम (ii) उपांतरित सुनिश्चित वृत्ति प्रगति (एमएसीपी) के लाभों का हकदार होगा: परंतु ऐसे कर्मचारी जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित न्युनतम अवधि के लिए नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अगली उच्चतर श्रेणी में उन्नत किए जा सकेंगे, अर्थात् :-वह ऐसी उच्चतर श्रेणी के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करते हों ; वह ऐसी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए योग्य निर्धारित (ख) किया गया :

		(ग) उससे उस श्रेणी में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है या ऐसा ज्येष्ठ व्यक्ति उन्नति के लिए पात्र नहीं है :
		परंतु यह और कि ऐसे कर्मचारी ऐसा उन्नयन उसकी वृत्ति में केवल एक बार दे सकेंगे और ऐसा उन्नयन उपांतरित सुनिश्चित वृत्ति प्रगति (एमएसीपी) के अधीन उन्नयन के रुप में माना जाएगा ।
5.	नियुक्ति की विशेष रीतियां	1. बोर्ड, ऐसी निबंधनों और शर्तों पर जैसा वह उचित समझे प्रादेशिक केन्द्र में प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, एमारिटस प्रोफेसर या वैज्ञानिक या किसी अन्य समतुल्य शैक्षणिक पद को स्वीकार करने के लिए उच्च शैक्षणिक विशिष्टता और वृत्तिक प्राप्ति वाले व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा। परंतु बोर्ड ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट अविध हेतु अधिसंख्य पद भी सृजित कर सकेगा। परंतु यह और कि इस प्रकार सृजित अधिसंख्य पदों की संख्या प्रादेशिक
		केन्द्र के कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 2. बोर्ड, संयुक्त अनुसंधान परियोजना या शैक्षिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए सहायक संकाय या अतिथि संकाय के रुप में श्रेष्ठता वैज्ञानिकों, शैक्षणिक या अन्य शैक्षणिक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा। इस प्रकार की गई नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विनिर्दिष्ट अवधि के साथ ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जैसा वह उचित समझे, सहविस्तारी होगी।
6.	आंतरिक शिकायत समिति	1. आंतरिक शिकायत सिमित (आईसीसी) प्रादेशिक केन्द्र के महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की जांच कर सकेगी। 2. ऐसी आंतरिक शिकायत सिमित में कार्यपालक निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों में, अर्थात्:- (i) पीठासीन अधिकारी, जो प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारियों में से प्रोफेसर की पंक्ति से अन्यून महिला होगी परंतु ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में पीठासीन अधिकारी, किसी अन्य शैक्षणिक संगठन से प्रोफेसर की पंक्ति से अन्यून सेवारत महिला कर्मचारी होगी; (ii) दो सदस्य प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारियों में से अधिमानत: महिलाओं के मामलों से संबद्ध हो या जिनके पास सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अनुभव हो या विधिक ज्ञान हो होगें; और (iii) एक सदस्य गैर सरकारी संगठनों या संगम में से जो महिलाओं के मामलों से संबद्ध हो या कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न के मामलों से संबंधित मामलों से सुपरिचित हो होगा: परंतु इस प्रकार नामनिर्दिष्ट कुल सदस्यों में से एक तिहाई महिलाएं होंगी। 3. पीठासीन अधिकारी और ऐसी आंतरिक शिकायत सिमित का प्रत्येक सदस्य ऐसी अवधि जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी या जो बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए के लिए पद धारण करेगा। 4. ऐसी आंतरिक शिकायत सिमित का बाह्य सदस्य बैठक फीस और यात्रा प्रतिपूर्ति के संदाय का पात्र होगा 5. जहां पीठासीन अधिकारी या आंतरिक शिकायत सिमित का कोई सदस्य महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिपेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) की धारा 16 के उपबंधों का

		उल्लंघन करता है तब ऐसा पीठासीन अधिकारी बोर्ड द्वारा ऐसी प्रक्रिया जो बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए के अनुसरण में पद समाप्ति के लिए दायी होगा।
7.	कर्मचारी शिकायत का निवारण	1. अधिनियम की धारा 40 के अनुसरण में एक कर्मचारी शिकायत निवारण क्रियाविधि अर्थात् कर्मचारी शिकायत निवारण समिति, ऐसी पद्धित और प्रक्रिया के लिए जो नियोक्ता -कर्मचारियों के अच्छे संबंध और प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करेगी, को बढ़ावा देने, कार्यपालक निदेशक द्वारा गठित की जा सकेगी।
		2. कर्मचारी शिकायत निवारण समिति निम्नलिखित संरचना के साथ गठित की जाएगी, अर्थात् :-
		(i) प्रादेशिक केन्द्र का प्रोफेसर - अध्यक्ष; (ii) लेखा अनुभाग का कर्मचारी सदस्य (iii) कार्मिक अनुभाग का कर्मचारी सदस्य; (iv) प्रादेशिक केन्द्र का प्रशासन नियंत्रक -सदस्य सचिव
		3. पैरा 2 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य कार्यपालक निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और ऐसे अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि संबंधित तारीखों जिसको उसने पद ग्रहण किया है से दो वर्ष की होगी।
		4. कर्मचारी शिकायत निवारण समिति, कर्मचारियों के साथ अन्याय के आरोपों के मामलों और प्रादेशिक केन्द्र में व्यष्टि प्रकृति की अन्य शिकायतों का अन्वेषण करेगी।
		5 कर्मचारी शिकायत निवारण समिति, संबद्ध प्रादेशिक केन्द्र से ऐसी सूचना जो विनिश्चय पर पहुंचने के लिए, यदि आवश्यक हो चाह सकेगी ।
		6. कर्मचारी शिकायत निवारण समिति, प्रादेशिक केन्द्र के व्यथित कर्मचारी की मौखिक सुनवाई, यदि आवश्यक हो, प्रदान करेगी ।
		7. कर्मचारी शिकायत निवारण समिति, प्रादेशिक केन्द्र के कर्मचारियों की शिकायत के प्रत्युतर में संबद्ध सक्षम प्राधिकारी को समुचित सिफारिशें करेगी।
8.	त्यागपत्र	प्रादेशिक केन्द्र की कार्यपालक समिति और वित्तीय समिति या किसी अन्य समिति के पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य, प्राधिकारी, कर्मचारीवृंद, छात्र, कार्यपालक निदेशक को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग सकेंगे और त्यागपत्र जैसे ही उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है प्रभावी हो जाएगा।
9.	शक्तियों का प्रत्यायोजन	प्रादेशिक केन्द्र का कोई अधिकारी उसकी शक्तियां किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति जो उसके संबद्ध नियंत्रण में है, कार्यपालक निदेशक के पूर्व अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग के लिए संपूर्ण दायित्व और पर्यवेक्षण ऐसी शक्तियों को प्रायोजित करने वाले अधिकारी में निहित रहेगी, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

प्रोफेसर के. विजयराघवन, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और सचिव,

जैवप्रौद्योगिकी विभाग

चन्द्र प्रकाश गोयल, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./235/17]

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Biotechnology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2017

No. RCB/STA/2017/01.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 15 along with section 41 of the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016), the Central Government on behalf of the Board of Governors, Regional Centre for Biotechnology hereby notifies the Statutes of the Regional Centre for Biotechnology, *inter alia* to regulate the powers and functions of the various authorities of the said Regional Centre, its academic activities and the service conditions of its employees.

"REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY

(PROGAMME ADVISORY COMMITTEE)

STATUTES

New Delhi, the 15th September, 2017

No. RCB/STA/2017/01.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 15 read with section 41 of the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016), the Board of Governors responsible for the Regional Centre for Biotechnology, an Institution of National Importance at the National Capital Region, Faridabad, Haryana functioning under the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India, frames the following Statutes, *inter alia*, to regulate the powers and functions of the various authorities of the said Regional Centre, its academic activities and the service conditions of its employees, namely:-

- 1. **Short title and commencement.** (1) These Statutes may be called the Statutes of the Regional Centre for Biotechnology, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.**—(1) In these Statutes, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016);
 - (b) "Controlling Authority" means the Executive Director appointed Section 23 of the Act;
 - (c) "Recognised Centre" means a centre or an institute of higher learning recognised by the Regional Centre for meeting its objectives under clause (f) of the sub-section (1) of Section 10;
 - (d) "Schedule" means Schedule annexed to these Statutes;
 - (e) "Statute" means a Statute of these Statutes.
 - (2) The words or expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. **Body corporate of the Regional Centre.** The body corporate of the Regional Centre for Biotechnology shall be as specified in the First Schedule.
- 4. **Powers and functions of authorities.** The powers and functions of various authorities of the Regional Centre shall be as specified in the Second Schedule.
- 5. **Academic activities.** The academic activities of the Regional Centre shall be conducted as specified in the Third Schedule.
- 6. **Service conditions.** The conditions of the service of the officers and employees of the Regional Centre shall be as specified in the Fourth Schedule.

FIRST SCHEDULE

(See statute 3)

BODY CORPORATE OF THE REGIONAL CENTRE

(REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY STATUTES)

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
1.	Body corporate	The Regional Centre shall, under sub-section (1) of section 3 of the Act, be a body corporate by the name of the "Regional Centre for Biotechnology" having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of the Act, to contract and shall by the said name, sue or be sued and it shall consist of a Board of Governors and the following authorities, namely:—
		(i) the Board of Governors;
		(ii) the Programme Advisory Committee;
		(iii) the Executive Committee;
		(iv) the Finance Committee;
		(v) the Board of Studies; and
		(vi) such other authorities as may be declared under these Statutes to be the authorities of the Regional Centre.
2.	Headquarters	The headquarters of the Regional Centre shall be at its campus in the National Capital Region Biotech Science Cluster, Faridabad as also specified by the Central Government, <i>vide</i> notification number S.O. 642 (E), dated the 28 th February 2017.
3.	Jurisdiction	As specified in section 6 of the Act, the jurisdiction of the Regional Centre shall extend to the whole of India and to such centers and specialised laboratories or other units for research, development and instruction, established by the Regional Centre within or outside India.

SECOND SCHEDULE

(See statute 4)

AUTHORITIES OF THE REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY

POWERS AND FUNCTIONS

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
1.	Terms of the Board of Governors	There shall be a Board of Governors as specified in section 14 of the Act, and the two members of the Board as referred to in clause (d) of sub-section (2) of the said section 14 shall be the representatives, each from such member States of UNESCO referred to in the said clause (d) as may be determined by the Chairperson of the Board after the approval of the Central Government, and the terms of office of the members of the Board and the manner of the meeting of the Board shall be as specified below, namely:—
		 (a) the term of the office of the members, other than <i>ex-officio</i> members, including Chairperson, shall be five years from the date on which they respectively enter upon their office; (b) the members specified in clause (b) of the sub-section (2) of section 14 of the Act shall be nominated by the Central

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		Government; (c) the terms of office of the <i>ex-officio</i> members including Chairperson shall be co-extensive with the terms of their respective office;
		(d) an outgoing member of the Board shall continue in office until another person is nominated or appointed as member;
		(e) an outgoing member of the Board shall be eligible for re- nomination or re-appointed if the Chairperson of the Board is convinced that the contribution of such a member to the objectives of the Regional Centre is highly valuable, commendable and meritorious;
		(f) the member of the Board other than <i>ex-officio</i> members may resign by writing to the Chairperson of the Board but he shall continue in his office until his resignation is accepted by the Board;
		(g) the Board shall meet at least once in a year at the time and place as may be determined by the Chairperson thereof; and
		(h) three members shall form a quorum for a meeting of the Board.
2.	Powers and functions of the Board of Governors	The Board shall have the powers and functions as specified in section 15 of the Act and in addition to such powers, for the governance of the powers of the Regional Centre, the Board shall— (a) confer degrees and diplomas on students having completed academic requirements as specified for the purpose by the
		Ordinances made under the Act; (b) confer honorary degrees or other academic distinction on individuals who have excelled themselves in any field of knowledge or creativity;
		(c) recognise an institution of higher learning in India or abroad for furthering the objectives of the Regional Centre and to withdraw such recognition in accordance with the norms and procedure to be specified in the Ordinances;
		(d) establish and maintain in India or overseas centers and specialised laboratories or other units for achieving the academic and research objectives of the Regional Centre;
		(e) institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes to recognise the outstanding contributions of the students and faculty of the Regional Centre;
		(f) appoint visiting Professors, Professors of Eminence, Honorary Professors, Adjunct Professors, Emeritus Professors, Emeritus Scientists, and such other persons who may contribute to the advancement of the objectives of the Regional Centre;
		(g) approve the audit report of the accounts presented by the statutory auditors;
		(h) operate accounts in the Scheduled or Nationalised Banks to manage the funds of the Regional Centre;
		(i) provide, approve or change the functional titles to the various approved posts as per the need of the Regional Centre from time to time and regulate the service of the employees of the Regional Centre as provided in the Fourth Schedule; and

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		(j) act in a manner as may be necessary to achieve the goals and objectives of the Regional Centre in accordance with the provisions of the Act.
3.	Powers and functions of	The Chairperson of the Board–
	the Chairperson of the	(a) shall preside over meetings of the Board;
	Board	(b) shall preside over the convocation of the Regional Centre;
		(c) shall sign the degrees and diplomas awarded by the Regional Centre;
		(d) may in case of urgency, exercise the powers of the Board and inform the Board the action taken in exercise of such powers for approval in the next meeting of the Board; and
		(e) may exercise any other power of the Board, subject to the provisions of the Act, and, entrusted to him by the Board.
4.	Terms of the Programme Advisory Committee	Subject to the provisions of section 17 of the Act, the Programme Advisory Committee shall be the principal academic (which includes scientific and research) advisory body of the Regional Centre and shall consist of such members as specified in sub-section (2) of the said section 17 and the term of the members shall be for a period of five years from the date on which he enters upon his office:
		Provided that –
		(a) its Chairperson shall be a person of eminence in the area of biotechnology and of international repute relevant to the core areas of the Regional Centre;
		(b) the Board shall appoint the nominated members of the Programme Advisory Committee under clause (e) of sub-section (2) of section 17 of the Act;
		(c) where a member of the Programme Advisory Committee becomes a member by reason of the office or appointment he holds, such membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment;
		(d) all other members of Programme Advisory Committee shall relinquish their membership on the expiry of five years from the date on which they become such member, but shall be eligible for re-appointment;
		(e) if a casual vacancy arises during the five years' period of a member of the Programme Advisory Committee, the person nominated or selected in the said vacancy shall hold office only for the unexpired duration of that five years' period;
		(f) a member of Programme Advisory Committee shall cease to be a member on the happening of any of the following events, namely:—
		(i) if he does not attend three consecutive meetings of the Programme Advisory Committee without prior information and proper reason or justification;
		(ii) if he resigns, dies, becomes of unsound mind, becomes insolvent or be convicted of a criminal offence involving moral turpitude;
		(g) a resignation from the membership of the Programme Advisory Committee shall be tendered to the Chairperson of the

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		Programme Advisory Committee and shall not take effect until it has been accepted by the Chairperson of the Board;
		(h) Programme Advisory Committee shall meet once a year and five members of Programme Advisory Committee shall form the quorum;
		(i) the members shall be paid sitting fee or honorarium as decided by the Board from time to time, and shall be reimbursed travel and other logistics expenses for attending the meetings of the Programme Advisory Committee.
5.	Powers and functions of the Programme Advisory Committee	In addition to the responsibilities specified in sub-section (4) of section 17 of the Act, the Programme Advisory Committee shall have the following functions, namely: -
		(a) to evaluate the progress being made by the Regional Centre in fulfilling its objectives and submit a report thereof to the Board;
		(b) to make recommendations to the Board with regard to the creation, classification and abolition of the academic, scientific and technical posts in the Regional Centre as also their duties and emoluments;
		(c) to advise the Board on fostering linkages with other academic institutions in India and abroad; and
		(d) to consider and report on any matter concerning scientific and technical issues referred to it by the Board or by the Executive Director.
6.	Conditions on Ordinances and Regulations	Notwithstanding anything contained in the Ordinances made by the Programme Advisory Committee under section 42 of the Act and the regulations made by the authorities of the Regional Centre under section 43 of the Act, no waiver or relaxation shall be given –
		(i) in the case of such Ordinances by the Programme Advisory Committee; or
		(ii) in the case of such regulations by the authorities of the Regional Centre, without prior approval of the Board.
7.	Executive Committee	There shall be an Executive Committee for the purposes specified in sub-section (1) of section 18 of the Act and,-
		(a) the Executive Committee shall have the following members, namely:-
		(i) Executive Director as <i>ex-officio</i> Chairperson;
		(ii) Deans of the Regional Centre;
		(iii) Additional Secretary or Joint Secretary (Administration) of the Department of Biotechnology, Government of India;
		(iv) Nodal Officer from the Department of Biotechnology, Government of India dealing with the Regional Centre;
		(v) Joint Secretary, Ministry of Human Resource Development (in-charge of the UNES Division), Government of India, or his nominee (not below the rank of a Director);
		(vi) Joint Secretary, Ministry of External Affairs (in-charge of the UNES Division), Government of India, or his nominee (not below the rank of a Director);
		(vii) Director, UNESCO New Delhi Regional Office; and

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		(viii) Controller of Administration of the Regional Centre, Member-Secretary;
		(b) the Registrar and Finance Officer of the Regional Centre shall be the permanent invitees to the Executive Committee;
		(c) the Executive Committee shall normally meet twice in a year;
		(d) the presence of five members shall form the quorum for the meeting of the Executive Committee.
8.	Powers and functions of the Executive Committee	(1) The Executive Committee shall be responsible for the management of the Regional Centre and implementation of policies and decisions of the Board.
		(2) The Executive Committee shall have the following powers and functions, namely:-
		 (a) to guide and advise the Executive Director on internal procedures regarding day-to-day administrative functioning of the Regional Centre;
		(b) to guide and advise the Executive Director regarding the manpower requirement of the Regional Centre and the recruitment and service rules;
		(c) to make recommendations to the Board with regard to the creation, classification and abolition of posts in the Regional Centre as also their duties and emoluments;
		(d) to constitute a Building and Works Committee to undertake any construction or alteration or maintenance works on the estates of the Regional Centre costing more than one crore rupees;
		(e) to advise the Executive Director on processes for the procurement, maintenance and utilisation of all movable and immovable assets of the Regional Centre;
		(f) to write off irrecoverable monetary losses and obsolete and irreparable store items within the limits specified by the Board;
		(g) to monitor financial, commercial, and legal compliance at the Regional Centre; and
		(h) to deal with any other matters that may be referred to the Executive Committee by the Chairperson of the Board or Executive Director of the Regional Centre.
9.	Board of Studies	(1) The Board of Studies shall be the supervisory body for the academic affairs of the Regional Centre.
		(2) The Board of Studies shall consist of the following members, namely:-
		(i) Executive Director, Chairperson (Ex-Officio);
		(ii) Deans and Sub-Deans of Regional Centre (Ex-Officio);
		(iii) three faculty members from the Regional Centre by rotation;
		(iv) three subject experts from a recognised research and teaching Institute or University or Biotech Industry;
		(v) three Academic Coordinators from Recognised Centres of the Regional Centre; and

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		(vi) Registrar of the Regional Centre (Member-Secretary).
		(3) The Executive Director shall nominate the faculty members of the Regional Centre in different fields.
		(4) The Executive Director shall nominate the subject experts in different fields.
		(5) Each Head of the Recognised Centre shall recommend the name of an Academic Coordinator for their centre and the Executive Director shall nominate three such Academic Coordinators by rotation to be the members of the Board of Studies.
		(6) The nominated members referred to in paragraphs (3), (4), and (5) shall have a term of three years.
		(7) The Board of Studies shall ordinarily meet at least twice a year and on such occasions, as may be directed by the Executive Director.
		(8) Notice for a meeting of the Board of Studies, other than a special meeting, shall ordinarily be issued at least seven days before the day fixed for the meeting.
		(9) The quorum for the meetings of the Board of Studies shall be thirty per cent. of the members of the Board of Studies, which shall include at least one outside expert and if the quorum is not reached, the meeting shall be adjourned for ten minutes and the present members shall reassemble for the meeting to proceed.
		(10) Special meetings may be called by the Chairperson of the Board of Studies at his own initiative or on a written request by at least thirty per cent. of the members of the Board of Studies and if the quorum is not met the requisitioned meeting shall stand cancelled.
		(11) In case of special meetings called at the request of the members, no item other than those notified in the agenda shall be discussed and that the presence of all such members, at whose request the special meeting was called, shall be essential.
		(12) If in the opinion of the Executive Director, it is not necessary or expedient to convene a meeting of the Board of Studies to consider any item and if he considers that a matter could be disposed of by circulation among the members of Board of Studies, he may issue necessary instructions to that effect.
10.	Powers and functions of the Board of Studies	The Board of Studies shall oversee the academic programme of the Regional Centre and shall have the following powers and functions, namely:-
		(a) to design and develop programs of study relevant to the areas of biotechnology as also listed in the aims and objects of the Regional Centre under clauses (a), (b), and (c) of sub-section (1) of section 10 of the Act;
		 (b) to approve the subjects of study for various degrees, diplomas, certificates and other requirements for the fulfillment of obtaining such degrees and certificates;
		(c) to recommend to the authorities of the Regional Centre in the

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		manner specified by the academic Ordinances for - (i) the courses of instructions, lectures, submission and evaluation of thesis work and appointment of supervisors for research; and
		(ii) taking measures for the improvement of the quality and standards of teaching, training and research;
		(d) to ensure that the curricula and syllabi of various courses offered by the respective faculty of the Regional Centre are periodically reviewed, revised and updated continuously;
		(e) to recommend to the Board the recognition of the Recognised Centres of the Regional Centre;
		(f) to recognise the teaching faculty or scientists of the Recognised Centres of the Regional Centre as the faculty of the Regional Centre for the academic purpose;
		(g) to approve and make such regulations consistent with these Statutes and Ordinances regarding the academic functions of the Regional Centre, including student discipline, residence, awards of fellowships, studentship, scholarships, medals, prizes, fees and concessions, and attendance;
		(h) to monitor academic compliance at the Regional Centre; and
		(i) to perform such other functions as may be assigned to it by the authorities of the Regional Centre.
11.	Composition of Finance Committee	The composition of the Finance Committee referred to in section 19 of the Act, nomination of its external expert members and the manner of its meeting shall be the following, namely:-
		(a) the Finance Committee shall consist of
		(i) Executive Director, Chairperson (<i>Ex-officio</i>);
		(ii) Financial Advisor, Department of Biotechnology, Government of India, or his nominee, Member (Exofficio);
		(iii) Nodal Officer from the Department of Biotechnology, Government of India, dealing with the Regional Centre, Member (<i>Ex-officio</i>);
		(iv) Executive Director, Translational Health Science and Technology Institute, Member (<i>Ex-officio</i>);
		(v) two external experts in finance and accounting, Members;
		(vi) Controller of Administration in the Regional Centre, Member (<i>Ex-officio</i>); and
		(vii) the Finance Officer, Member-Secretary (Ex-officio);
		(b) the external experts referred to in the sub-clause (v) of clause (a) shall be nominated by the Executive Director and shall hold office for a term of three years;
		(c) the Finance Committee shall meet normally twice a year to review the accounts and financial management of the Regional Centre; and
		(d) four members of the Finance Committee present in-person shall form the quorum.

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
12.	Powers and Functions of the Finance Committee	The Finance Committee referred to in section 19 of the Act, shall apart from its functions specified in sub-section (1) of that section, be responsible to oversee the financial management of the Regional Centre and its further powers and functions shall be such as may be determined by the Board from time to time, which shall include the following, namely:- (a) to review operational processes and internal control guidelines in all areas impacting the finances of the Regional Centre;
		(b) to consider the annual budget estimates and the revised estimates of the Regional Centre and to make recommendations to the Executive Committee and the Board relating thereto;
		(c) to review the finances of the Regional Centre from time to time and to make recommendations to the Executive Committee and the Board relating thereto;
		(d) to consider all proposals for new heads of expenditure of the Regional Centre including building and works, and to provide recommendations to the Executive Committee and the Board relating thereto;
		(e) to recommend new sources of funds and to oversee investments of the existing funds to augment the internal resources of the Regional Centre;
		(f) to advise the Executive Committee on processes for writing off irrecoverable monetary losses and obsolete and irreparable store items;
		(g) to consider the re-appropriation statement and to make recommendations to the Executive Committee and the Board relating thereto;
		(h) to review the annual statements of accounts, asset register, and the audit report thereon, and to make recommendations to the Executive Committee and the Board relating thereto;
		(i) to tender advice and to make recommendations to the Executive Committee and the Board on any other financial matter affecting the functions and activities of the Regional Centre, either on its own initiative or on the initiative of the Executive Director, or of the Executive Committee, or the Board;
		(j) to recommend to the Board on the delegation of necessary financial powers; and
		(k) to recommend appointment of auditors for audit of the Annual Accounts of the Regional Centre.
13.	Chief Functionary of the Regional Centre	The Executive Director shall be the Chief Executive Officer to provide the scientific and academic leadership to the Regional Centre, oversee administration and finance of the Regional Centre to direct its business, and to act on behalf of the Board to administer any other matters related to the Regional Centre.
14.	Appointment of the Executive Director	The Executive Director shall be appointed by the Board with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet of the Central Government in the following manner, namely:
		(a) the Board shall invite applications or nominations through an open advertisement in the leading news dailies, accredited

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		science journals and websites of the Department of Biotechnology, Government of India, the Regional Centre, and such other places as it deems appropriate;
		(b) the norms, criteria and regulations for the position shall be finalised by the Board with the concurrence of the Department of Biotechnology, Government of India;
		(c) a Search-cum-Selection Committee constituted by the Central Government shall identify and recommend to the Board, a person of eminence in the broad area of biotechnology and related fields with demonstrated science management experience and high leadership qualities to function as the Executive Director of the Regional Centre for appointment;
		(d) the Executive Director so appointed shall also hold the substantive position of a Professor at the Regional Centre and may continue in this position till the age of superannuation admissible for the faculty following the expiry of his term as the Executive Director;
		(e) the Executive Director shall hold the office for a term of five years from the date on which he enters upon the office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and he shall be eligible for re-appointment on completion of the tenure:
		Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office;
		(f) notwithstanding anything contained in clause (e), the Board may at any time after the Executive Director has entered upon his office, by order in writing, remove him from the office on grounds of incapacity, misconduct or violation of statutory provisions:
		Provided that -
		(i) no such order shall be made by the Board unless the Executive Director has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him;
		(ii) the Board shall have the concurrence of the Central Government before making such an order;
		(iii) the Board may also, at any time before making such order, place the Executive Director under suspension, pending enquiry or otherwise.
		(g) the Executive Director shall be paid travelling expenses for joining the Centre as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the extant rules relating to transfer travelling allowance of the Central Government deeming the appointment of appointee as on transfer in the public interest;
		(h) without prejudice to article 13, the Executive Director shall be a whole-time salaried officer of the Regional Centre and the salary of the Executive Director shall be equivalent to that of the Director of an 'Institution of National Importance' as notified by the Central Government from time to time and the

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		Executive Director shall be paid allowances as are applicable to other faculty members of the Regional Centre at the rates fixed by the Central Government from time to time. He shall also be entitled to free official car, and rent-free, furnished residence throughout his term of office and no charge shall fall upon the Executive Director in respect of the use of the car and maintenance of the residence. He shall also be entitled for other perks available to the Vice-chancellor of a Central University; (i) the Executive Director shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Central Government from time to time:
		Provided that where an employee of the Regional Centre, or of any other institution or a University is appointed as the Executive Director, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the Regional Centre shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which he had been contributing immediately before his appointment as the Executive Director:
		Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the Regional Centre shall make the necessary contribution to such scheme;
		 (j) the Executive Director shall be entitled to leave of various kinds including leave travel concession as per the extant rules of the Central Government in this respect applicable to its officers of equivalent status;
		(k) if the office of the Executive Director becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he is unable to perform his duties due to ill-health or any other cause, the senior most Dean of the Regional Centre shall perform the duties of the Executive Director:
		Provided that if the Deans are not available, the senior most Professor of the Regional Centre shall perform the duties of the Executive Director until a new Executive Director assumes his office or the existing Executive Director resumes the duties of his office, as the case may be.
15.	Powers and functions of the Executive Director	Without prejudice to the powers and functions conferred by subsection (2) of section 23 of the Act, the powers and duties of the Executive Director shall be the following, namely:-
		(a) the Executive Director shall be the Chief Executive Officer of the Regional Centre to direct its business and act on behalf of the Board;
		(b) the Executive Director shall be the principal scientific and academic authority of the Regional Centre to oversee its research and academic programs;
		(c) it shall be the duty of the Executive Director to see that the provisions of the Statutes, Ordinances and regulations of the Regional Centre made under the Act are duly observed and he shall have all the powers necessary to ensure such observance;
		(d) the Executive Director shall be the <i>ex-officio</i> Chairperson of the Executive Committee, the Board of Studies constituted under

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		section 21 of the Act, and the Finance Committee constituted under sub-section (2) of the section 19 of Act;
		(e) the Executive Director shall be the Convener of the Board and in the absence of the Chairperson of the Board, he shall preside over the convocations held for conferring degrees;
		(f) the Executive Director shall be entitled to be present at and address, any meeting of any authority or other body of the Regional Centre, but shall not be entitled to vote there, unless he is a member of such authority or body;
		(g) the Executive Director shall have power to sanction the expenditure of the funds of the Regional Centre as per the allocated budget and make re-appropriation of funds across the sanctioned heads within the overall budget as per the needs of the Regional Centre;
		(h) the Executive Director shall, subject to the provisions of the Act and these Statutes, have the powers to make appointments and act as the disciplinary authority to the various academic, scientific, technical, professional, and administrative positions following the due process as provided in the Fourth Schedule;
		(i) the Executive Director shall have the powers to convene or cause to be convened the meetings of the Executive Committee, Programme Advisory Committee, the Board of Studies and the Finance Committee constituted under sub-section (2) of section 19 of the Act;
		(j) the Executive Director shall delegate his powers, for proper functioning of the Regional Centre to the officers other than him specified in section 22 of the Act, as per limitations or conditions as may be imposed by him; and
		(k) the Executive Director shall exercise any other powers of the Board delegated by it to him by resolution for proper functioning of the Regional Centre.
16.	Deans and Sub-Deans	(1) The Deans and Sub-Deans referred to respectively in clause (ii) and (iii) of section 22 of the Act shall be appointed by the Board in accordance with clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Act.
		(2) The functional title of the Sub-Dean appointed under paragraph (1) shall be Associate Dean.
		(3) The term of office of such Dean or Associate Dean shall be for five years:
		Provided that -
		(i) the Dean or Associate Dean whose term of office has expired shall be eligible for re-appointment;
		(ii) the Dean or Associate Dean so appointed shall also hold the substantive position of a Professor at the Regional Centre and may continue in this position till the age of superannuation admissible for the faculty following the expiry of his term as the Dean or Associate Dean;
		(iii) the terms and conditions of service of the Dean and Associate Dean shall be such as are specified in the Fourth Schedule.

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
17.	Powers and Duties of Deans and Associate Deans	The Dean and Associate Dean referred to in the article 16 shall assist the Executive Director in such matters as may be determined by the Executive Director in this behalf from time to time, and shall also exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Executive Director.
18.	Associate Director (Administration)	(1) The Associate Director (Administration) shall be appointed by the Executive Director on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and shall be a whole-time salaried officer of the Regional Centre.
		(2) The functional title provided to this position shall be the Controller of Administration.
		(3) The terms and conditions of service of the Controller of Administration shall be such as are specified in the Fourth Schedule:
		Provided that the Controller of Administration shall retire on attaining the age of superannuation as admissible for the non-academic staff of the Regional Centre.
		(4) When the office of the Controller of Administration is vacant or when he, by reason of illness, absence or any other cause, is unable to perform the duties of his office, the same shall be performed by such person as the Executive Director may appoint for the purpose.
19.	Duties of Controller of Administration	It shall be the duty of the Controller of Administration in the Regional Centre to—
		(a) assist the Executive Director in all administrative matters relating to the Regional Centre;
		(b) act as the <i>ex-officio</i> Secretary of the Executive Committee and issue notices to convene meetings of the Executive Committee, and to keep the official correspondence and minutes of all the statutory committee meetings of the Regional Centre;
		(c) oversee the overall administrative activities including establishment, finance, stores and purchase, engineering, estates and maintenance of the Regional Centre;
		(d) report to the Executive Director in the matters related to monitoring and evaluation of the administration of the Regional Centre for continuous improvement;
		(e) maintain the primary relationship for operations and maintenance of services within the National Capital Region Biotech Science Cluster partners and the funding agencies;
		(f) be the custodian of records, the common seal and such other property of Regional Centre as the Executive Committee shall commit to his charge;
		(g) represent the Regional Centre in suits or proceedings by or against the Regional Centre, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and
		(h) perform such other duties as may be specified in the Ordinances, or the regulations, or as may be assigned to him from time to time by the Executive Director for the purposes of the Regional Centre.

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
20.	Registrar	(1) The Registrar referred to in clause (v) of the section 22 of the Act to shall be appointed by the Executive Director on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and shall be a whole-time salaried officer of the Regional Centre.
		(2) The terms and conditions of service of the Registrar shall be such as are specified in the Fourth Schedule:
		Provided that the Registrar shall retire on attaining the age of superannuation as admissible for the non-academic staff of the Regional Centre;
		(3) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar, by reason of illness, absence or any other cause, is unable to perform the duties of his office, the same shall be performed by such person as the Executive Director may assign for the purpose.
21.	Duties of Registrar	(1) The Registrar appointed under paragraph (1) of article 20 shall be <i>ex-officio</i> Member-Secretary of the Board of Studies.
		(2) The Registrar shall be the custodian of the academic records and such other property of the Regional Centre as the Executive Director shall commit to his charge.
		(3) The Registrar shall issue all notices convening meeting of the Board of Studies and of all Committees of the Regional Centre for the academic matters as appointed by Executive Director.
		(4) The Registrar shall maintain records of all the meetings of the Board of Studies, and of any Committees of the Regional Centre for academic matters appointed by the Executive Director.
		(5) The Registrar shall represent the Regional Centre in suits or proceedings relating to the academic functions by or against the Regional Centre.
		(6) The Registrar shall oversee student activities including but not limited to admission, examinations, fellowship, fees, graduation, travel, accommodation, and grievance redressal in the Regional Centre.
		(7) The Registrar shall oversee the administration of the academic activities of Post-Doctoral Fellows and Young Investigators at the Regional Centre.
		(8) The Registrar shall perform such other duties as may be specified in the Ordinances, or the regulations, or as may be required from time to time by the Executive Director.
22.	Finance Officer	(1) The Finance Officer referred to in clause (vi) of section 22 of the Act, shall be appointed by the Executive Director on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole-time salaried officer of the Regional Centre.
		(2) The terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as are specified in the Fourth Schedule:
		Provided that the Finance Officer shall retire on attaining the age of superannuation as admissible for the non-academic staff of the Regional Centre.

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		(3) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer, by reason of illness, absence or any other cause, is unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Executive Director may assign for the purpose.
23.	Duties of Finance Officer	(1) The Finance Officer appointed under paragraph (1) of article 22 shall serve as the Member-Secretary of the Finance Committee.
		(2) The Finance Officer shall exercise general supervision over the funds of the Regional Centre and shall provide advice on financial proprietary of the Regional Centre.
		(3) The Finance Officer shall hold and manage the financial property and investments of the Regional Centre including trust and endowed property.
		(4) The Finance Officer shall ensure that the limits fixed by the Executive Committee for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted.
		(5) The Finance Officer shall be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the Regional Centre and for their presentations to the Finance Committee referred to in subsection (1) of section 19 of the Act and the Executive Committee.
		(6) The Finance Officer shall keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments and watch the progress of the collection or revenue and advise on the methods of collection employed in the Regional Centre.
		(7) The Finance Officer shall ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that annual stock verification of assets is conducted in all offices, departments, centres and specialised laboratories of the Regional Centre.
		(8) The Finance Officer shall perform such other financial and administrative functions as may be assigned to him by the Executive Director.

THIRD SCHEDULE

(See Statute 5)

THE ACADEMIC ACTIVITIES OF THE REGIONAL CENTRE

(CONDUCT OF ACADEMIC ACTIVITIES)

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
1.	Academic and Research Program	(1) The primary function of the Regional Centre is to provide a world-class education and training, and conduct innovative research at the interface of multiple disciplines, to create high quality human resource in disciplinary and interdisciplinary areas of biotechnology.

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		(2) Research-based-learning shall be the hallmark of the academic programme of Regional Centre where students enrolled for the various degree programs, who shall work for their research training components within the research labs of the Regional Centre and its recognised centers, and will have the opportunity to interact with the international experts that visit Regional Centre.
		(3) The intramural research programme of the Regional Centre shall be guided by the Programme Advisory Committee and shall aim to achieve inter-disciplinarity by collaborations across the institutions.
		(4) The Regional Centre shall strive to build large research programs for societal benefit and provide opportunity to its students to be a part of these for their academic training.
		(5) The Regional Centre shall offer post-graduate degrees and diplomas in the multi-disciplinary areas of biotechnology that may include, but not limited to, the following programs in the broad areas of biotechnology, namely:-
		(i) Doctor of Philosophy (PhD);
		(ii) Master of Science and Doctor of Philosophy (Integrated) (MSc-PhD);
		(iii) Master of Science (MSc);
		(iv) Master of Technology (MTech); and
		(v) Post-Graduate Diploma in Biotechnology (PGD).
		(6) Each proposal for the introduction of a new academic programme at the Regional Centre or a Recognised Centre shall be examined by the Board of Studies and approved, if found acceptable from the viewpoint of its desirability, viability and conformity with the broad objectives described in the Act.
		(7) The curriculum of each academic programme or a change therein shall require the approval of the Board of Studies.
		(8) The Regional Centre and the Centre(s) recognised by it shall appoint an Academic Coordinator for interaction and liaising with the Dean (Academics) and Registrar of the Regional Centre, and only an individual who has been recognised by Regional Centre as a Professor may be nominated as an Academic Coordinator.
		(9) If a centre recognised by the Regional Centre is unable to appoint a Professor-level faculty as its Academic Coordinator, an Associate Professor may be appointed as Academic Coordinator with the approval of the Chairperson of Board of Studies by citing reasons for such inability.
		(10) A student enrolled in one centre recognised by the Regional Centre may attend a course, or a part of it, or perform research, or a part of it, in another so recognised centre or at any other Institute or University with which the Regional Centre has an agreement of academic collaboration and the student may have a co-guide from another centre or an Institute or University with which the Regional Centre has an agreement of collaboration.

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		 (11) The course credit earned by the student in a centre different from the parent one shall be given only if the student had registered for the full course before the start of the semester with due approval of the Academic Coordinator of the Regional Centre and informed the same to the Registrar of the Regional Centre. (12) Selection of candidates for the various academic programs at a centre recognised by the Regional Centre shall be as per the selection process formulated by the Recognised Centre and
		approved by the Board of Studies.
2.	Convocation	(1) Convocations for the purpose of conferring Degrees or Diplomas on qualified students shall ordinarily be held once a year at Faridabad campus of the Regional Centre on such date or dates as may be decided by the Chairperson of the Board.
		(2) Special convocations for conferring degrees or for honorary purposes may be held on such dates and on such times as the Chairperson of the Board may fix.
		(3) It shall also be open to the Board to decide to grant and confer degrees without holding the convocation.
		(4) The Chairperson of the Board shall preside over all convocations and shall confer Degrees or Diplomas and the Executive Director shall preside over the Convocation in the absence of the Chairperson of the Board.
		(5) The students who have passed their examinations in the year for which the convocation is held shall be eligible to be admitted to the convocation:
		Provided that in case the convocation is not held in a particular year for any reason, the Executive Director shall be competent to authorise admission of successful students in that year to the respective Degrees or Diplomas, as the case may be, in absentia and issue the Degrees or Diplomas.
		(6) Such students as are unable to present themselves in person at the Convocation shall, at their request, be admitted to the Degrees or Diplomas in absentia, and their Degrees or Diplomas shall be issued by the Registrar of the Regional Centre.
		(7) The Chairperson of the Board and the Executive Director shall sign the degree and diploma certificates.
		(8) The Executive Director may issue a provisional degree or diploma certificate to a candidate who has completed all requirements for the degree or diploma programme in advance of the annual convocation, when considered essential.
3.	Recognised Centre	(1) Pursuant to the clause (f) of sub-section (1) of Section 10 of the Act, the Board of Studies shall consider proposals from institutions of higher learning within India and recommend to the Board for recognising their courses and programs that fall under the purview of objectives and functions of the Regional Centre from the view point of its desirability, viability and conformity, and the same shall prevail for institutions and research centres outside India.

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		(2) The institution recognised and approved by the Board as referred to in paragraph (1) shall be named as a "Recognised Centre" of the Regional Centre for Biotechnology.
		(3) The faculty of the Recognised Centre referred to in paragraph (2) shall be eligible to be conferred an appropriate academic title by the Regional Centre without holding a substantive post in the Centre.
		(4) The Board of Studies shall decide the process for the recognition of the institutions under paragraph (1) and its faculty by the Regional Centre for academic purpose in accordance with the provisions of the Ordinances made under the Act.
		(5) Following the approval of the Board, the institutions desirous of being recognised by the Regional Centre under paragraph (2) shall enter into a written agreement, which shall specify the objectives, needs and specific activities covered under the collaboration, and provide a guarantee that it shall follow the provisions of the Act, Statutes, Ordinances, regulations and orders, directions and instructions of the Regional Centre in regard to the recognised academic program.
		(6) The Recognised Centre made thereunder shall conduct the academic programme as approved by the Board of Studies and the Regional Centre shall award the certificates, diplomas, or degrees to those candidates having fulfilled the academic requirements as provided in the Ordinances.
		(7) A Recognised Centre under paragraph (2) shall pay to the Regional Centre the annual recognition fee as decided by the Board of Studies from time to time.
		(8) The privileges conferred on an institution by recognition under paragraph (2) may be withdrawn in part or in whole or modified, if the institution has failed to comply with any of the provisions of the Act, Statutes, Ordinances, regulations made thereunder or any order, direction or instruction of the Regional Centre with regard to the academic program, or has failed to observe any of the conditions of the recognition, or has conducted itself in a manner prejudicial to the interest of the Regional Centre or its standards.
4.	Collaborations and consultancies for Research and Academic	(1) To bring multi-disciplinarity to the research, the Regional Centre shall encourage collaborations among individual scientists across the institutions globally.
	Programs (2)	(2) All collaborations shall adhere to the vision, mission and objectives of the Regional Centre, leveraging the varied expertise of the collaborators who can provide value addition to the research.
		(3) Such collaborations on larger programs may also happen at the institutional levels with capacity-building interests involving the training and education of students and young researchers, besides the shared research and these institutions may be located in India or overseas.
		(4) The collaborations shall be defined through a memorandum of understanding or an agreement and shall be approved by the Board.

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		 (5) The Regional Centre may also enter into collaboration with industry or other such organisations in India or outside India to further its academic and research objectives. (6) The collaborations referred to in paragraph (5) shall be defined through a manufacture of understooding or an agreement and
		through a memorandum of understanding or an agreement and shall be approved by the Board.
		(7) All prevailing ethical principles, norms and guidelines shall be followed in all such collaborative activities.
		(8) The funds required for the research through the aforesaid collaborations shall be jointly raised by the collaborating partners.
		(9) Such partners shall jointly own patents or any other intellectual property created from the collaborative research proportionate to their intellectual contribution.
		(10) The Regional Centre may set up its own specialised research laboratory or centre in other locations in India or abroad, with or without collaboration with another partner institutions.
		(11) The Board shall approve the proposal based on the recommendation of the Programme Advisory Committee.
		(12) The academic staff of the Regional Centre may undertake research or academic consultancies related to their areas of expertise following the norms approved by the Board.
5.	Fellowships, Scholarships and Awards	(1) Doctoral students of the Regional Centre shall normally receive fellowship from the Council of Scientific and Industrial Research or the Indian Council for Agriculture Research or Department of Biotechnology or Department of Science and Technology or University Grants Commission or any other source for which they have qualified and have been declared eligible.
		(2) The Regional Centre shall sponsor or forward the cases of students referred to in paragraph (1) to the fellowship granting agencies to enable them to receive the fellowship.
		(3) The Regional Centre may also award scholarship or fellowship or assistance to students from India or abroad to pursue various academic programmes in accordance with such guidelines as may be laid down by the Board of Studies, which shall be approved by the Board.
		(4) To promote and recognise academic excellence, constructive leadership and overall growth and development of the students, the Board of Studies shall award prizes and medals to be instituted either by the Regional Centre or through endowment or grants of donors after the approval of the Board.
		(5) The students may also receive financial assistance from Government, Public Sector Organisations, private industrial and commercial organisations, and research schemes directed by the faculty members of the Regional Centre.
6.	Annual Report	(1) An Annual Report shall be prepared, illustrating the academic, education, training and research activities of the Regional Centre.

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		(2) Such Annual Report shall be prepared under the supervision and direction of the Executive Director including matters and steps taken by the Regional Centre towards fulfilment of its objectives.
		(3) The Annual Report shall be approved by the Board before it is submitted to the Central Government.
7.	Review of the Regional Centre	(1) The Programme Advisory Committee or a sub-committee appointed by it shall conduct the annual review of the scientific and academic programme made under the Act.
		(2) The Programme Advisory Committee shall submit the report of the review to the Board.
		(3) As its routine process, the Comptroller and Auditor General shall conduct the review of the administrative and financial operations at the Regional Centre as and when required, and the report shall be submitted to the Board.
		(4) The Board may decide to conduct the review of the Regional Centre in any other manner at any point of time.
8.	Exceptions	(1) Students already working for their doctoral degree at the Regional Centre or its Recognised Centres shall be eligible for registration as a student of the Doctor of Philosophy programme of the Regional Centre:
		Provided that such student shall fulfill the requirements for the admission to the Doctor of Philosophy programme in accordance with the provisions of the Ordinances made under the Act.
		(2) The exceptions under paragraph (1) shall be a one-time exception available to the Regional Centre and its Recognised Centres to accommodate students already admitted.
		(3) All such cases shall be reviewed and approved by the Board of Studies for registration.

FOURTH SCHEDULE

(See Statute 6)

THE CONDITIONS OF THE SERVICE OF THE OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE REGIONAL CENTRE

Article No. **Heading of Article Description of Article (1) (2) (3)** 1. Employees of the (1) The Regional Centre shall have the following employee cadres, Regional Centre namely:-(i) Academic Cadre; (ii) Technical Cadre; and (iii) Administrative Cadre. (2) The various posts within the cadres specified in paragraph (1) shall be such as may be created by the Board from time to time in accordance with the need of the Regional Centre. (3) The Board shall have the powers to classify the post and assign them to different cadres as per the need of the Regional Centre.

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
2.	Appointments in the Regional Centre	(1) All appointments in the Regional Centre shall be on regular, or on deputation, or on contract basis.
		(2) All posts at the Regional Centre earmarked for direct recruitment shall normally be filled up by an open advertisement and the terms and conditions as laid down in the Statutes shall be advertised and all applications received within the date specified in the advertisement shall be considered by the Screening Committee constituted by the Executive Director:
		Provided that the Screening Committee may for sufficient reasons, as it deems fit, consider any application received after the date so specified:
		Provided further that there shall be a rolling advertisement subject to availability or anticipation of vacancy on the web-site of the Regional Centre for various academic positions and the applications received from time to time may be considered by the each concerned Departmental Committee constituted by the Executive Director for such purpose and its recommendations shall be sent to the Executive Director for taking appropriate action.
		(3) The appointing authority in respect of various positions of the Regional Centre shall be the following, namely:—
		(a) the appointing authority for the post of Executive Director shall be the Board and the appointment on such posts shall be made with the approval of the Appointments Committee of Cabinet, Government of India;
		(b) the appointing authority for the post of Dean and Associate Deans shall be the Board and the appointment on such posts shall be made with the approval of the Minister in- charge of the Department of Biotechnology, Government of India;
		(c) the appointing authority for the posts carrying grade pay of rupees ten thousand and above shall be the Executive Director, and the appointments on each such posts shall be made with the approval of the Chairperson of the Board; and
		(d) the appointing authority for all other posts not specified in(a) to (c) shall be the Executive Director and the appointments of such posts shall be with his approval.
		(4) The rules and procedures prescribed by the Central Government from time to time in respect of the reservation policy for the reserved categories shall be followed for all cadres of the regular staff of the Regional Centre.
		(5) The extant rules and procedures prescribed by the Central Government for deputation shall be <i>mutatis mutandis</i> applicable in respect of the appointments made on deputation basis in the Regional Centre.
		(6) The Selection Committee for various positions in the Regional Centre shall be as specified below, namely:—
		(a) for posts equivalent to Group 'A' carrying grade pay of rupees five thousand and four hundred per month and up to grade pay of rupees ten thousand and five hundred per

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		month, the Executive Director shall chair the Selection Committee and other members of the Committee shall be the persons as may be specified by the Board;
		(b) for posts equivalent to Group 'B' with grade pay below rupees five thousand four hundred a month, a nominee of the Executive Director shall chair the Selection Committee and other members of the Committee shall be the persons as may be specified by the Board;
		(c) every such Selection Committee shall have at least two members who shall be in grade pay higher than the post being filled and at least one of these members shall be an external expert;
		(d) every such Selection Committee shall comprise of members of concerned reserved community in case of post to be filled being reserved post;
		(e) no member of the vigilance organisation shall be part of the Selection Committee;
		(f) for the posts of Associate Dean and Dean, a Search-Cum- Selection Committee shall be constituted by the Board with the approval of the Department of Personnel and Training, Government of India; and
		(g) for the post of Executive Director, the entire selection process shall be done by the Department of Biotechnology, Government of India, in accordance with the rules and instructions of the Department of Personnel and Training, Government of India.
		(7) Such Selection Committee shall examine the credentials of all persons who have applied and may also consider other suitable names nominated, if any, by any member of the Selection Committee or brought otherwise to the notice of the Committee and the Selection Committee may interview any of the candidates, as it thinks fit and shall at the discretion of its Chairperson, cause a written test or tests including an oral presentation to be held for all or some of the candidates.
		(8) No act or proceeding of any such Selection Committee shall be called in question merely on the ground of the absence of any member or members of the Committee to whom notice with reasonable time for the meeting of the Selection Committee has been served.
3.	Service Conditions of the Employees	(1) The posts in the Regional Centre shall be classified as under, namely:— (i) posts equivalent to Group 'A' carrying grade pay of Rs. 5400
		in the pay band 3 (PB-3) and above it;
		(ii) posts equivalent to Group 'B' carrying grade pay of Rs. 4200 in the pay band 2 (PB-2) and above it but less than grade pay of Rs. 5400 in pay band 3 (PB-3);
		(iii) all other posts shall be posts equivalent to Group 'C'.
		(2) All posts under the Regional Centre shall be fixed in pay scales and allowances as per the Government of India rules issued from

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		time to time and adopted by the Board and all employees appointed against these posts shall be entitled to all allowances, perks and privileges, all kinds of leave and leave travel concession as admissible by the relevant rules and provisions of the Central Government for its employees of equivalent status.
		(3) All appointments to the posts under the Regional Centre shall be subject to a probation period of two years and if confirmed, continue to hold his office subject to the provisions of the Act and these Statutes, till the end of the month in which he attains the age of superannuation as decided by the Central Government from time to time.
		(4) Every appointment to the posts specified in paragraph (1) shall be subject to the condition that the appointee is certified as being in sound mental health and is physically fit for service on the posts assigned to him by a medical authority approved by the Executive Committee in this regard.
		(5) The appointing authority shall have the power to terminate the services of any person holding any post specified in paragraph(1) on one month prior notice and without any cause being assigned thereto during the period of probation.
		(6) The appointing authority shall have the power to retire or terminate the services of any person holding any post specified in paragraph (1) by giving three months' notice or on payment of three months' salary <i>in lieu</i> thereof, if certified on medical grounds by the medical authority nominated by the Executive Committee, that his retention is considered not viable or undesirable by such appointing authority.
		(7) For travel on official duties, the employees of the Regional Centre shall be governed by the rules of the Central Government for its employees of equivalent status, for time being inforce. The Board may, in specific cases, lay down special entitlements to various categories of employees, based on the recommendation of the Executive Committee. The approval for the travel of all the employees of the Regional Centre shall be made by the Executive Director. The approval for the overseas travel of the Executive Director shall be made by the Chairperson of the Board.
		(8) The employees of the Regional Centre shall be entitled to reimbursement of medical expenses incurred on themselves and their dependents in accordance with the medical reimbursement policy and rates approved by the Board.
		(9) The employees of the Regional Centre shall be governed by the conduct rules of the Central Government as specified in the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 for the time being in force. For the purpose of implementation of the aforementioned rules, the Executive Director shall be the competent authority of the Regional Centre to initiate disciplinary proceedings against employees of the Regional Centre including placing on suspension, but, no orders imposing any form of penalties under the aforementioned rules shall be

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		passed by any authority subordinate to that by which he was appointed and except after an enquiry has been held and the such employee has been given reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him. (10) The employees in the academic cadre of the Regional Centre shall be eligible for allotment of a house within the campus of the Regional Centre, if available, in accordance with the rules relating to residential accommodation or instructions of the Central Government issued in that respect. Such allotment shall be subject to levy of appropriate license fee, water, electricity and charges for any other service rendered on actual basis. The Executive Director, may in case of certain category of employee, either waive off or levy at concessional rate, the license fee, if it is necessary to do so in the interest of the Regional Centre.
		(11) A permanent employee of the Regional Centre may resign from service only after giving three months' notice in writing to the appointing authority or by paying three months' salary <i>in lieu</i> thereof. In cases of non-permanent employee of the Regional Centre, the notice period shall be one month or paying one month's salary <i>in lieu</i> thereof. Such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the appointing authority. Such appointing authority, at its sole discretion, may consider to waive off fully or partially, the notice period or the recovery of salary <i>in lieu</i> thereof.
		(12) At any time, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, a permanent employee of the Regional Centre may retire from service on the terms and conditions and rules and regulations laid down by the Central Government from time to time for its employees of equivalent status.
		(13) The employees of the Regional Centre shall be governed by the National Pension System of the Government of India, and retirement benefits under such a scheme as applicable to the employees of the equivalent status of the Central Government on their retirement.
4.	Career Progress and Promotion	(1) All the positions in the academic cadre of the Regional Centre are entitled to promotion independent of the vacancy position in the higher cadre subject to the fulfilment of eligibility conditions as may be determined by the Board and successful assessment of merit.
		(2) The academic employees of the Regional Centre shall be eligible for consideration for promotion to the posts in next higher grade after five years of service in a grade.
		(3) The promotions of the academic employee of the Regional Centre shall be limited to promotion to posts up to Academic grade pay of Rs. 10500 in the pay band 4 (PB-4).
		(4) The following guidelines shall apply for the technical or administrative employees of the Regional Centre, namely:-
		(i) promotion to the next higher grade shall be subject to fulfilling the minimum eligibility period in the existing grade and availability of vacancy in the next higher grade;

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		(ii) such employees shall be entitled to the benefits of Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme of the Central Government for the time being in force:
		Provided that such employee who has held post on regular basis for the minimum period as approved by the Board may be upgraded to the next higher grade subject to the following conditions, namely: (a) that he fulfils the eligibility conditions for such
		higher grade; (b) that he is assessed as fit for promotion to such higher grade; (c) that there is no person senior to him in the grade or such senior person is not eligible for the upgradation: Provided further that such employee may avail such upgradation only once in his career and such upgradation shall count as upgradation under Modified Assured Career Progression.
5.	Special modes of appointment	(1) The Board may invite a person of high academic distinction and professional attainment to accept the post of Professor of Eminence, Emeritus Professor or Scientist, or any other equivalent academic post in the Regional Centre on such terms and conditions as it deems fit:
		Provided that the Board may also create supernumerary posts for a specified period for appointment of such person: Provided further that the number of supernumerary post so created shall not exceed five per cent of the total posts in the Regional Centre.
		(2) The Board may appoint eminent scientists, academician or any other academic person as Adjunct Faculty or Visiting Faculty for undertaking a joint research project or teaching responsibilities. The appointments so made shall be co-terminus with the specified period approved by the appointing authority on such terms and conditions as it deems fit.
6.	Internal Complaints Committee	(1) An Internal Complaints Committee (ICC) shall look into the complaints of sexual harassment of women employees at the Regional Centre.
		(2) Such Internal Complaints Committee shall consist of the following members to be nominated by the Executive Director, namely:-
		(i) the Presiding Officer who shall be a woman not below the rank of a Professor at the Regional Centre from amongst the employees:
		Provided that in case a senior level women employee is not available, the Presiding Officer shall be an in-service woman employee not below the rank of a Professor from Any other academic organisation;
		(ii) two members from amongst the employees of the Regional Centre preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge; and
		(iii) one member from amongst non-Governmental organisations

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
		or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment:
		Provided that at least one-half of the total members so nominated shall be women.
		(3) The Presiding Officer and every member of such Internal Complaints Committee shall hold office for such period not exceeding three years or as determined by the Board.
		(4) The external members of such Internal Complaints Committee shall be eligible to be paid the sitting fees and travel reimbursement.
		(5) Where the Presiding Officer or any member of the Internal Complaints Committee contravenes the provisions of section 16 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), then such Presiding Officer shall be liable to be terminated from his office by the Board in accordance with such procedure as may be determined by the Board.
7.	Employee Grievance Redressal	(1) Pursuant to section 40 of the Act, an employee grievance redressal mechanism namely, the Employee Grievance Redressal Committee shall be constituted by the Executive Director, to promote practices and processes that shall ensure healthy employer-employee relationship and expeditious disposal of employee grievances in the Regional Centre.
		(2) The Employee Grievance Redressal Committee shall be constituted with the following composition, namely:-
		(i) a Professor of the Regional Centre —Chairperson;
		(ii) an employee from the Accounts Section —Member;
		(iii) an employee from the Personnel Section —Member; and
		(iv) the Controller of Administration of the Regional Centre —Member-Secretary.
		(3) The Chairperson and Members referred to in paragraph (2), shall be nominated by the Executive Director and the term of the such Chairperson and Members shall be for a period of two years from the respective dates in which they enter upon their offices;
		(4) The Employee Grievance Redressal Committee shall go into the cases of alleged injustice to the employee and other grievance of an individual nature in the Regional Centre.
		(5) The Employee Grievance Redressal Committee shall seek such information from the concerned in the Regional Centre, if needed, to arrive at a decision.
		(6) The Employee Grievance Redressal Committee shall give oral hearing to the aggrieved employee of the Regional Centre, if needed.
		(7) The Employee Grievance Redressal Committee shall make appropriate recommendations to the concerned competent authority in response to the grievance of the employee of the Regional Centre.

Article No.	Heading of Article	Description of Article
(1)	(2)	(3)
8.	Resignation	Any member, other than an <i>ex-officio</i> member of the Executive Committee and the Finance Committee or any other committee, authority, staff, student of the Regional Centre, may resign by letter addressed to the Executive Director and the resignation shall take effect as soon as it is accepted by him.
9.	Delegation of powers	Any officer of the Regional Centre may delegate his powers to any other officer or person under his or its respective control, with prior approval of the Executive Director, and subject to the condition that overall responsibility and supervision for the exercise of the powers so delegated shall continue to vest in the officer delegating such powers.

Prof. K. VIJAYRAGHAVAN, Chairperson of the Board of Governors and Secy.,

Department of Biotechnology"

 $CHANDRA\ PRAKASH\ GOYAL,\ Jt.\ Secy.$

[ADVT.-III/4/Exty./235/17]